

कक्षा
9

कक्षा

9

समाजोपयोगी योजनाएँ

भाग—1

समाजोपयोगी योजनाएँ
भाग—1



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
अजमेर

समाजोपयोगी योजनाएँ भाग-1



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति

पुस्तक-समाजोपयोगी योजनाएँ भाग-1

लेखकगण

1. स्वच्छता अभियान

- ◆ डॉ. ऋतु सारस्वत
प्राध्यापक-समाजशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय, पुष्कर (अजमेर)

2. कौशल विकास एवं उद्यमिता

- ◆ डॉ. अनिल उपाध्याय
प्राध्यापक-व्यवसाय प्रशासन
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय
अजमेर
- ◆ डॉ. अभिनव कमल रैना
प्राध्यापक-वाणिज्य
महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
चित्तौड़गढ़

3. जल स्वावलंबन

- ◆ डॉ. बी. एल. यादव
प्रोफेसर एवं ओ.एस.डी.
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)
- ◆ डॉ. एल. आर. यादव
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर)

4. भामाशाह योजना

- ◆ डॉ. प्रकाश कुमार बचलस
प्राध्यापक-अर्थशास्त्र
सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर
- ◆ श्री अशोक तिवारी
सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य

दो शब्द

विद्यार्थी के लिए पाठ्यपुस्तक क्रमबद्ध अध्ययन, पुष्टिकरण, समीक्षा और आगामी अध्ययन का आधार होती है। विषय-वस्तु और शिक्षण-विधि की दृष्टि से विद्यालयीय पाठ्यपुस्तक का स्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ्य पुस्तकों को कभी जड़ या महिमामण्डित करने वाली नहीं बनने दी जानी चाहिए। पाठ्यपुस्तक आज भी शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया का एक अनिवार्य उपकरण बनी हुई है, जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते।

पिछले कुछ वर्षों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में राजस्थान की भाषागत एवं सांस्कृतिक स्थितियों का प्रतिनिधित्व का अभाव महसूस किया जा रहा था, इसे दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कक्षा-9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अपना पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुरूप बोर्ड द्वारा शिक्षण सत्र 2016-17 से कक्षा-9 व 11 की पाठ्यपुस्तकें बोर्ड के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर ही तैयार कराई गई हैं। आशा है कि ये पुस्तकें विद्यार्थियों में मौलिक सोच, चिंतन एवं अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करेंगी।

प्रो. बी.एल. चौधरी
अध्यक्ष

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर

भूमिका

किसी भी देश की उन्नति, किसी एक आधार भूमि पर खड़ी नहीं होती बल्कि उसके लिए विभिन्न आयामों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होती है, और इस सम्बन्ध में 'सरकारी योजनाएँ' महती भूमिका निभाती है। भारत विकासशीलता के पथ पर चलकर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो सके, यह देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, और इस कर्तव्य की पूर्ति तभी संभव है, जब हमें देश और राज्य की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी हो। यह योजनाएँ आर्थिक सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य, आर्थिक हितों एवं प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को केन्द्र में रखकर निर्मित की गई है।

— लेखकगण

समाजोपयोगी योजनाएँ
भाग-1

अनुक्रमणिका

1. स्वच्छता अभियान	1 – 9
2. कौशल विकास एवं उद्यमिता	10 – 17
3. जल स्वावलंबन	18 – 26
4. भामाशाह योजना	27 – 37

स्वच्छता अभियान

‘स्वच्छता’ शब्द से लगभग सभी परिचित हैं। ‘स्वच्छता’ हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? यह एक विचारणीय प्रश्न है। बीते दशकों में भारत ही नहीं अपितु विश्वभर में इस विषय पर मंथन हो रहा है कि कैसे इस संपूर्ण पृथ्वी को ‘अस्वच्छता’ से मुक्ति दिलाई जाए? स्वच्छता का वास्तविक तात्पर्य क्या है, यह जानना हमारे लिए आवश्यक है। साधारणतः स्वच्छता का संदर्भ उस सजीव वातावरण से लिया जाता है जो मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। स्वच्छता का शाब्दिक अर्थ मानवों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार लाने और उनकी सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपाय हैं।

‘स्वच्छता’ हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यह जानना तथा समझना न केवल हमारे लिए आवश्यक है अपितु हमारा प्रथम दायित्व भी है क्योंकि ‘स्वच्छता’ का संबंध ‘स्वयं’ मात्र से न होकर संपूर्ण समाज, देश और विश्व से है। विभिन्न शोध यह स्पष्ट करते हैं कि स्वच्छता का अभाव मानवीय विकास का सबसे बड़ा अवरोध है और भारत ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि अस्वच्छता कई रोगों का मूल कारण है अर्थात् स्वच्छता का प्रत्यक्ष रूप से संबंध लोगों के कल्याण से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि प्रदूषित जल 80 प्रतिशत रोगों का कारण है जो कि अपर्याप्त स्वच्छता और सीवेज निपटान विधियों का परिणाम है। इससे स्पष्ट होता है कि लोगों को स्वच्छता के महत्व पर जानकारी देने और शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में स्वच्छता पूर्ण विधियों के उपयोग की शिक्षा देने की आवश्यकता है।

स्वच्छता हमारा कर्तव्य – स्वच्छता का प्रश्न सर्वप्रथम स्वयं से जुड़ा है। देश के हर व्यक्ति का यह प्रथम दायित्व है कि वह अपने घर की ही नहीं अपितु अपने आस-पास की स्वच्छता का भी ध्यान रखें। अगर विद्यार्थी अपने विद्यालय की, कर्मचारी अपने कार्यालय की और एक आम व्यक्ति जहाँ जाये या बैठे, वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखें तभी ‘स्वच्छता’ बढ़ेगी। आपका दायित्व, दूसरे का अधिकार है। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं तो साफ-स्वच्छ बस में बैठना आपका और सभी यात्रियों का अधिकार है, परन्तु अगर आप मूँगफली खाकर, उसके छिलके बस में ही फेंक देते हैं तो आप दूसरे यात्री की ‘स्वच्छता’ के अधिकार का हनन कर रहे हैं।

स्वच्छता का अधिकार – जिस स्वच्छता की ‘अवधारणा’ को अधिकतर हम अपने कर्तव्य मात्र से जोड़ कर देखते हैं वह हमारा अधिकार भी है। मानवीय गरिमामय व उच्च गुणवत्ता वाले जीवन के लिए स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। अतः देश के प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है, जो कि जीवन के मूलभूत अधिकारों का ही एक भाग है। चूंकि स्वच्छता मूलभूत अधिकारों का भाग है इसलिए यह सुनिश्चित करना सरकार का उत्तरदायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वच्छता के अधिकार का उपभोग करे। भारत में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अब सक्रियता बढ़ाई गई है और इस दिशा में स्वच्छता मिलेनियम (सहस्राब्दी) विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.) को पूरा करने के लिए निधिकरण कई गुना किया गया है। पानी की आपूर्ति और स्वच्छता भारत के संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों, के अनुसार राज्य का दायित्व है। राज्यों द्वारा यह दायित्व और अधिकार पंचायती राज संस्थानों

(पी.आर.आई.) और शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) को दिए गए हैं।

अस्वच्छता फैलने के कारण – अस्वच्छता कैसे फैलती है? यह प्रश्न अधिकतर हमसे पूछा जाता है, पर क्या हम सभी इसका कारण जानते हैं? सामान्यतः हम यह समझते हैं कि घर के कचरे को सड़क या गली में फेंक देने से अस्वच्छता फैलती है परन्तु यह अस्वच्छता का एक कारण है। ऐसे अनेक कारण हैं जोकि मनुष्य की अस्वस्थता के लिए भी जिम्मेदार हैं और इनमें प्रमुख 'खुले में शौच' की प्रवृत्ति है। यह तथ्य चौंकाने वाला परन्तु सत्य है कि विश्व में लगभग दो सौ करोड़ जनसंख्या शौच सुविधाओं के बिना जीवनयापन करती है और उसकी एक बड़ी संख्या 63 करोड़ भारत से हैं। बिना शौच सुविधाओं के रहना अर्थात् आस-पास के वातावरण को दूषित करना या ऐसे वातावरण में रहना, जहाँ हवा में लगातार कीटाणु हों और गँदगी में उन कीटाणुओं को पनपने के अवसर देना है। अस्वच्छता फैलने का एक अन्य मुख्य कारण फैक्ट्रियों और कल-कारखानों से निकलने वाले रसायनिक तत्व तथा अपशिष्ट हैं जिन्हें नदियों और नहरों में बहा दिया जाता है। तालाबों, नहरों तथा नदियों में कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने से भी जल अस्वच्छ होता है।



स्वच्छता में हमारी भूमिका— अस्वच्छता के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि हमारे लिए हमारे घर की 'स्वच्छता' ही हमारी प्राथमिकता होती है और बदलती परिस्थितियों में यह दायित्व भी हम स्वयं नहीं लेना चाहते हैं। सूएलन होइ नामक लेखिका अपनी पुस्तक 'गँदगी को दूर करना' (अंग्रेजी) में पूछती हैं, "क्या हम उतने ही स्वच्छ हैं जितने कि हम हुआ करते थे?" वह जवाब देती हैं, "शायद नहीं"। लेखिका बताती हैं कि इसका मुख्य कारण, समाज के बदलते नैतिक मूल्य हैं। लोग अपने घरों पर कम-से-कम समय बिताते हैं, इसलिए इसकी सफाई वे किसी और को पैसा देकर करवाते हैं। सूएलन की बात कहीं न कहीं भौतिकवादिता की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है, जहाँ मनुष्य का मुख्य जीवन ध्येय धन अर्जित करना होता है और उसके अतिरिक्त वह अपने सभी दायित्व को गौण मानता हुआ दूसरों को सौंपने की चेष्टा करता है। यह सत्य भी किसी से छुपा नहीं है कि चाहे ग्रामीण परिवेश हो या शहरी परिवेश, व्यक्ति अपने 'दायित्व' से कहीं अधिक 'अधिकार' के प्रति चिंतित होता है। स्वच्छता के संदर्भ में भी इसे जोड़ कर सहजता से देखा जा सकता है। यह प्रवृत्ति अधिकांश लोगों में देखी गई है कि वह अपने घर के कचरे को निर्दिष्ट कचरा पेटी में न फेंक कर सड़क, नाली या कहीं भी फेंक देते हैं। यह स्थिति उच्च, मध्यम-वर्ग से लेकर निम्न-वर्ग में पाई जाती है क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कि कचरा उठाने का काम

प्रशासन का है। इसी सोच के चलते, जगह-जगह कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। स्वच्छता एक सामूहिक दायित्व है और इसकी जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की है। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ नगरपालिका या नगरनिगम या फिर पंचायत के सफाई कर्मचारी ही 'स्वच्छता' के जिम्मेदार हैं और यह उनका ही कर्तव्य है तो हम पूर्णतः गलत हैं। जो अस्वच्छता हमें बुरी लगती है उसे रोकना हमारा दायित्व है। जगह-जगह आपने लोगों को थूकते हुए, लघुशंका करते हुए देखा होगा, क्या वह हमारी आँखों को अच्छा लगता है? नहीं ना! ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम स्वयं सबसे पहले इस तरह की आदतों को छोड़ें।

आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2008 में सिक्किम, देश का पहला 100 प्रतिशत सैनितेशन कवरेज (यानी शौचालय) वाला राज्य बन गया था। सिक्किम देश का शायद पहला और इकलौता राज्य होगा जहाँ थूकना मना है। सिक्किम के लगभग हर कस्बे में थूकना निषेध नीति (एंटी-स्पीटिंग पॉलिसी) लागू है, जिसके तहत थूकने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

सिक्किम में 14 अगस्त 1997 से ही पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सड़क पर कूड़ा फेंकना मना है और थोड़ी-थोड़ी दूरी पर एक डस्टबिन (कचरा डालने का पात्र) रखा गया है। यहाँ तक कि सिक्किम में चलने वाली हर टैक्सी में मोबाइल डस्टबिन (गतिशील कूड़ेदान) का इंतजाम किया गया है। यदि आप कार में सफर कर रहे हैं तो कूड़ा बाहर नहीं फेंक सकते, उसे कार में मौजूद मोबाइल डस्टबिन में ही डालना होगा। सिक्किम के सरकारी स्कूलों में पर्यावरण संबंधित विषय का, पाठ्यक्रम में होना अनिवार्य है। इस राज्य में खाली पड़ी जमीन को 'स्मृति वन जोन' (क्षेत्र) घोषित किया गया है जिसका उद्देश्य आम लोगों को जंगल और पर्यावरण के निकट लाना है। सिक्किम में लोगों को जागरूक करने के लिए एक पाठ्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी जिसका नाम है- 10 मिनट, धरती के लिए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सिक्किम के हर नागरिक से पौधारोपण और ग्रीन सिक्किम अभियान के लिए 10 मिनट माँगे जाते हैं। इसमें लोग भारी संख्या में हिस्सा लेते हैं।

क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह बिना सामूहिक सहभागिता के संभव था। स्वच्छता एक सामूहिक दायित्व है। जब तक देश का हर नागरिक इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर लेता और उसी के अनुरूप आचरण नहीं करता तब तक, 'स्वच्छता अभियान' सफल नहीं हो पायेगा।

स्वच्छता और स्वास्थ्य के मध्य संबंध


महान् दार्शनिक अरस्तु का कथन है- "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है," स्पष्ट है कि स्वच्छता का स्वास्थ्य से घनिष्ठ संबंध है। आरोग्य को नष्ट करने (अस्वस्थ होने) के जितने भी कारण हैं, उनमें गँदगी प्रमुख है। जहाँ कूड़ा-कचरा होता है, मल-मूत्र सड़ता है, नालियों में कीचड़ भरी रहती है, वहीं मक्खी, खटमल, पिस्सू जैसी बीमारियाँ उत्पन्न करने वाले कीड़े उत्पन्न होते हैं। उन्हें मारने के लिए दवायें छिड़कना तब तक व्यर्थ है जब तक गँदगी को हटाया न जाए। इन्हीं मक्खी-मच्छर जैसे कीड़ों से हैजा, मलेरिया, दस्त, पेट के कीड़े, चेचक, खुजली तथा रक्त विकार जैसे रोग फैलते हैं। घर के आस-पास तथा घर के भीतर गँदगी का रहना स्वास्थ्य के लिए स्पष्ट खतरा है। गँदगी जितनी निकट होती है, अस्वस्थता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। विभिन्न स्तर पर हुए

शोघों से यह सिद्ध हो चुका है कि दूषित पानी और दूषित भोजन के कारण दस्त, पोलियो, पीलिया, जैसी जानलेवा बीमारियाँ होती हैं। शोध यह भी बताते हैं कि नियमित रूप से हाथ-पैर धोने और नाखून काटने से हम रोगों को दूर रख सकते हैं। स्वच्छता सिर्फ बाहरी वातावरण में ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी होनी आवश्यक है अर्थात् अपने शरीर की स्वच्छता, प्रत्येक व्यक्ति के स्वस्थ होने का प्रमुख घटक है।

अस्वच्छता के कारण— वैश्विक स्तर पर यदि अस्वस्थता के आँकड़ों को देखा जाए तो स्थिति डरावनी है। प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख (4 मिलियन) लोग अतिसार रोग से पीड़ित होते हैं जिनमें से लगभग 15 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और मरने वालों में से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। 60 लाख लोग ट्रेकोमा के कारण दृष्टिहीन हैं और लगभग 50 करोड़ (500 मिलियन) लोगों का ट्रेकोमा से पीड़ित होने का खतरा बना हुआ है। 30 करोड़ मानव मलेरिया से ग्रस्त हैं। 20 करोड़ लोग सिस्टोसोमियासिस से ग्रस्त हैं। सिस्टोसोमियासिस जिसे स्नेल फीवर भी कहते हैं, का कारण संक्रमण है। इसके कारण लीवर की क्षति, किडनी की विफलता या ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। बच्चों में इसके कारण शारीरिक वृद्धि व सीखने की क्षमता का हास हो सकता है। यह रोग उस पानी के साथ संपर्क से फैलता है जिसमें परजीवी होते हैं। ये परजीवी संक्रमित ताजे पानी के घोंघों से फैलते हैं। प्रत्येक वर्ष इस बीमारी से लगभग 12,000 से 2,00,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। परजीवी रोग के रूप में सबसे अधिक आर्थिक प्रभाव डालने वाला सिस्टोसोमियासिस, मलेरिया के बाद दूसरे नंबर का रोग है।

संक्रमण फैलने की प्रक्रिया –

अस्वच्छता के कारण विश्वभर में कितने मानवों की मृत्यु हो जाती है, हम जान चुके हैं। अब हमारे लिए यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि किस तरह संक्रमण फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के मल में हजारों की संख्या में कीटाणु एवं कीड़ों के अंडे पाये जाते हैं। गंदे हाथों, अँगुलियों या प्रदूषित भोजन एवं पानी द्वारा यह मुँह तक पहुँचते हैं, जिन्हें निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है:—



(1) शौच करने के बाद यदि हाथ को साबुन और पानी से न धोया जाए और अँगुलियों को

(4)

मुँह में डाल दिया जाए तो शरीर में कीटाणु पहुँच जाते हैं।

(ii) अक्सर भोजन मक्खियों द्वारा प्रदूषित हो जाता है। मक्खियाँ मल में बैठने के उपरांत जब भोजन पर बैठती हैं तो वे अपने साथ लाए मल में उपस्थित कीटाणुओं से उसे दूषित कर देती हैं। ऐसे भोजन के सेवन से शरीर में कीटाणु प्रवेश कर जाते हैं।

(iii) यदि खाने वाले बर्तनों को अस्वच्छ रखा जाए तो उसमें मक्खियाँ बैठ जाती हैं या गँदे हाथों से बर्तनों का उपयोग किया जाए तो वह गँदे हो जाते हैं। ऐसे बर्तनों में खाना खाने से कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।

(iv) पानी के स्रोत के निकट मल त्यागने या स्वच्छ जल के आसपास शौच करने से पानी प्रदूषित हो जाता है। ऐसे पानी को पीने से कीटाणु शरीर में प्रवेश करते हैं।

(v) शौचालय, पानी के स्रोत से यदि 20 मीटर की परिधि के भीतर है तो मल से दूषित पानी रिसकर भूमिगत पानी को दूषित कर देता है और जब यह भूमिगत पानी कुएँ या हैण्ड-पम्प के जरिए बाहर निकालकर पीने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो कीटाणु बड़ी ही सहजता से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोग खेतों में मल त्यागते हैं और कभी-कभी उसी मल का प्रयोग वह खेतों में खाद के रूप में करते हैं। यदि ऐसे खेत की सब्जी को ढंग से न धोया जाए तो कीटाणु शरीर में प्रवेश कर मनुष्य को अस्वस्थ कर देते हैं।

(vii) खेल के दौरान बच्चे अगर प्रदूषित मिट्टी से खेलते हैं या उनके खिलौने उस प्रदूषित मिट्टी से गँदे हो जाते हैं, या फिर वह अपने हाथ व खिलौनों को मुँह में डालते हैं तो कीटाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों से आप समझ चुके होंगे कि कैसे खुले में शौच करने और उसके उपरांत स्वयं की सफाई न करना, मानव जीवन के लिए कितना घातक होता है। इस संपूर्ण संदर्भ को और भी आसानी से महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उदाहरण से समझा जा सकता है।

महाराष्ट्र राज्य में अमरावती जिले के गाँवों में लोग पीने के लिए अलग-अलग स्रोतों—कुआँ, नलकूप, हैंडपंप और ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए गए पानी को उपयोग में लेते हैं। इस पानी की गुणवत्ता को जाँचने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। उन्होंने जिले के खुले में शौचमुक्त (ओपन डेफिकेशन फ्री—ओडीएफ) और खुले में शौच वाले (ओपन डेफिकेशन नॉट फ्री—ओडीएनएफ) गाँवों को चुना क्योंकि वह यह देखना चाहते थे कि मानव मल का जल की गुणवत्ता पर क्या और कितना प्रभाव पड़ता है। उन्होंने खुले में शौच युक्त 66 गाँवों और खुले में शौच वाले 72 गाँवों से पेयजल के नमूने एकत्रित किए। 66 ओडीएफ और 72 ओडीएनएफ गाँवों में से कुल मिलाकर 211 पेयजल के नमूने लिए गए। जिनमें से 104 ओडीएफ गाँव से और 107 ओडीएनएफ से थे। नमूनों के लिए अलग-अलग स्रोतों को भी चुना गया। जाँच के दौरान अलग-अलग परीक्षण किए गए और कई तरह के प्रदूषणों का पता लगाया गया। ओडीएनएफ अर्थात् जिन गाँवों में लोग खुले में शौच करते थे, गाँवों में पेयजल में मानव मल से होने वाला जल-प्रदूषण 35 प्रतिशत था, वहीं जिन गाँवों में खुले में शौच की प्रवृत्ति नहीं थी यानि वे गाँव जहाँ के निवासी शौचालय का प्रयोग करते थे वहाँ पेयजल में प्रदूषण मात्र 8 प्रतिशत था। अगर हम स्रोत की बात करें तो ओडीएनएफ गाँवों में यह प्रदूषण खुले कुआँ में सर्वाधिक (77 प्रतिशत) पाया गया जबकि ओडीएफ गाँव में यह मात्र 15 प्रतिशत ही था। ओडीएफ गाँवों में पेयजल 83 प्रतिशत मानव मल के संक्रमण से मुक्त पाया गया जबकि ओडीएनएफ गाँवों में पेयजल में मानव मल की

मौजूदगी 52 प्रतिशत पाई गई। इस परीक्षण से वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि खुले में शौच हमारे जल स्रोतों को किस तरह प्रदूषित कर देता है।

जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण और मानव हित सभी आपस में एक-दूसरे से संबंधित हैं। दूषित पेयजल से स्वास्थ्य को जो सबसे बड़ा और आम खतरा है वह है पशु और मानव मल और उसमें व्याप्त छोटे-छोटे जीवांश का संक्रमण। आम भाषा में जिसे ई-कोलाई कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न परीक्षणों से यह सिद्ध कर दिया है कि खुले में शौच पेयजल को कितना घातक बना सकता है और अगर खुले में शौच की आदत को छोड़ शौचालय का इस्तेमाल किया जाए तो न केवल हम पेयजल के प्रदूषण को कम कर सकते हैं बल्कि शुद्ध पेयजल के प्रयोग से डायरिया, हैजा, टाइफाइड और अन्य संक्रामक बीमारियों से भी बचा जा सकता है।

अब हम यह समझ चुके हैं कि स्वच्छता हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमने यह भी जाना कि खुले में पड़े हुए मल से न केवल भू-जल प्रदूषित होता है, बल्कि कृषि उत्पाद भी इस प्रदूषण से अप्रभावित नहीं रहते। यही मल टाइफाइड, हैजा और डायरिया जैसी जानलेवा बीमारी का कारण बनता है।

हम अब इस तथ्य से परिचित हो चुके हैं कि यदि प्रदूषित जल नहीं पीयेंगे, मल का ठीक से निपटान करेंगे, शौचालयों का प्रयोग करेंगे, व्यक्तिगत तथा खाद्य पदार्थों की स्वच्छता पर ध्यान देंगे तथा कचरे का प्रबन्धन उचित तरीके से करेंगे अर्थात् कचरा निर्दिष्ट स्थान पर ही फेंकेंगे, तो हमारा बचाव अनेकानेक बीमारियों से हो जाएगा।

जानने योग्य बातें

△ बच्चे इस देश के भावी निर्माणकर्ता हैं। देश को स्वच्छ बनाने में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और यही कारण है कि बाल स्वच्छता मिशन का आरम्भ बच्चों को देश के स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए 14 नवम्बर 2014 को महिला एवं बाल कल्याण मंत्री द्वारा किया गया। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ भोजन, स्वयं को साफ करने, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय को प्रोत्साहन देकर स्कूलों में स्वच्छता सुनिश्चित करना है। यह अभियान, स्वच्छ भारत अभियान का ही हिस्सा है। आप सभी विद्यार्थी इस अभियान में सम्मिलित होकर, देश को स्वच्छ बनाने में महत्ती भूमिका निभा सकते हैं। आइए जाने कैसे—

(1) आप सभी यह जानते हैं कि कूड़े-कचरे को कचरा पात्र (डस्टबिन) में डालना चाहिए। पर क्या आप ये जानते हैं कि किस रंग के डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना चाहिए। हमारे यहाँ मूलतः तीन रंगों के डस्टबिन प्रयोग में लिए जाते हैं।

- **हरा डस्टबिन** — इसमें आप पत्ते, सूखे फल-सब्जी, इस्तेमाल की गई माचिस की डिब्बी, बचा हुआ खाना जैसे, सामान डाल सकते हैं।

- **नीला डस्टबिन** — नीले रंग के डस्टबिन में आप प्लास्टिक बैग, जूस की बोतल, टूटा हुआ प्लास्टिक का सामान, टूथपेस्ट की खाली ट्यूब आदि डाल सकते हैं। ये वे सामान हैं जिनका पुनःचक्रण किया जा सकता है।

- **लाल डस्टबिन** — इस रंग के डस्टबिन में टॉर्च सेल, पुरानी दवाई, इस्तेमाल की गई सुई आदि डाल सकते हैं।



(II) अब आप यह जाने कि आपकी स्वयं की शारीरिक स्वच्छता आपके लिए कितना महत्व रखती है। क्या आप यह जानते हैं कि अगर आप हाथ अच्छे से धोते हैं तो दस्त और निमोनिया की बीमारी की संभावना 30 से 40 प्रतिशत कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त लू (एच1, एन1 सहित) दस्त, चिकन पॉक्स, पीलिया, टी.बी. इत्यादि रोगों में भी हाथों की सफाई रखने से बचाव होता है।

Δ हाथ धोने का महत्व, विश्व में प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य है और इसलिए 'विश्व हाथ धुलाई दिवस' की शुरुआत स्टॉकहोम में 2008 में 'विश्व जल सप्ताह' के दौरान की गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2008 में अन्तरराष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष की घोषणा के साथ ही प्रथम विश्व हाथ धुलाई दिवस के लिए 15 अक्टूबर का दिन तय किया गया था तब से निरंतर 15 अक्टूबर को हाथ धुलाई दिवस आयोजित किया जाता है।

Δ स्वच्छता को लेकर हमारी प्रतिबद्धता के कारण हमारे देश का नाम 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में सम्मिलित हुआ है और यह उपलब्धि मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों की स्वच्छता के प्रति, प्रतिबद्धता के कारण प्राप्त हुई। मध्यप्रदेश में 15 अक्टूबर 2014 में एक साथ 12 लाख 76 हजार 425 विद्यार्थियों द्वारा 'विश्व हाथ धुलाई दिवस' पर हाथ धोने के कीर्तिमान को गिनीज बुक की अधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज किया गया है। विश्व हाथ धुलाई दिवस पर राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी 51 जिलों में 13 हजार 196 स्थानों पर हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें एक ही समय पर 12,76,425 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इससे पूर्व हाथ धुलाई का विश्व रिकॉर्ड अर्जेन्टीना, पेरू और मैक्सिको का नाम दर्ज था।

स्वच्छता के लिए विद्यार्थियों के प्रयास

1. आपका पहला कर्तव्य स्वयं के शरीर की सफाई है इसके लिए नित्य स्नान करें। शौच जाने के उपरांत हाथ को साबुन से धोएँ और अगर साबुन उपलब्ध न हो तो ताजी राख या साफ रेत का प्रयोग करें। अपने नाखूनों को काटे जिससे उनमें गँदगी न भरे क्योंकि नाखून में भरी गँदगी मुँह में पहुँच कर संक्रमण का कारण बन जाती है।
2. अपने घर और स्कूल की साफ-सफाई में आप सहयोग करें। स्वयं कचरा न फैलाएँ तथा

पानी के कैम्पर से पानी पीने के लिये, नीचे लगी टॉटी से ही पानी लें क्योंकि अगर हम कैम्पर का ढक्कन खोलकर गिलास को भरते हैं तो हाथ में लगी गँदगी, धूल, पसीने से कैम्पर का पानी प्रदूषित हो जाता है। आप जहाँ से भी पानी पीएँ वह पात्र ढका हुआ हो।

3. हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोएँ।
4. बाजार की खुली चीजें खरीद कर न खाएँ।
5. हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, यदि शौचालय नहीं है तो मल त्यागने के बाद उसे मिट्टी से ढँक दें।
6. कच्ची सब्जी व फलों को अच्छी तरह से धोकर खाएँ।
7. अगर आपके पाँव गंदे हैं तो उसे बिछौने पर न रखें।
8. जिस बाल्टी में कपड़े धोए हों, उसे माँजे बगैर कुएँ में न डालें और न पीने-पकाने का पानी उसमें भरें।

अनुकरणीय

आप कई बार यह सोचते होंगे कि मैं छोटा हूँ तो 'स्वच्छता अभियान' में क्या विशेष कर सकता हूँ? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप से भी छोटे इंदौर के वज्रांग के बारे में जानें। आठ वर्ष के वज्रांग ने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को स्वच्छता अभियान पर चिट्ठी लिखी थी। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला वज्रांग, अपने आस-पास के लोगों को साफ-सफाई रखने के लिए प्रेरित करता है। उसकी इच्छा है कि भारत का नाम दुनिया में स्वच्छता में अग्रणी हो। खरीददारी करते समय वह दुकानदार और ग्राहकों को प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग नहीं करने की अपील करता है और उससे होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी भी देता है। प्रधानमंत्री ने वज्रांग के पत्र का उत्तर भी दिया –

स्नेही मास्टर वज्रांग,

“स्वच्छ भारत अभियान के बारे में आपकी समझ और सरोकार जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है। स्वच्छ भारत का संदेश देश के कोने-कोने तक पहुँच रहा है और बच्चे स्वच्छ भारत अभियान के अग्रदूत बन रहे हैं। आप अपने आस-पास के लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करते रहें, तो बदलाव अवश्य आएगा।”

अगर वज्रांग देश को स्वच्छ रखने के लिए प्रयास कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? बस आप दृढ़ संकल्प करें कि आप अपनी शारीरिक स्वच्छता, के साथ-साथ विद्यालय और घर के समीप कचरा नहीं फैलाएँगे।

अभ्यास प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. किस वर्ष में सिक्किम देश का पहला 100 प्रतिशत सैनिटेशन कवरेज (यानि शौचालय) वाला राज्य बना?
(अ) 2006 (ब) 2010
(स) 2008 (द) 2014 ()
2. टूटा हुआ प्लास्टिक, जूस की बोतल, टूटे हुए काँच, आदि सामान किस रंग के डस्टबिन में डालना चाहिए?
(अ) हरा डस्टबिन (ब) नीला डस्टबिन
(स) काला डस्टबिन (द) लाल डस्टबिन ()

(8)

3. 'विश्व हाथ धुलाई' दिवस की शुरुआत किस वर्ष में हुई?
(अ) 2006 (ब) 2009
(स) 2007 (द) 2008 ()
4. 'विश्व हाथ धुलाई' दिवस पर देश के किस राज्य ने 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में नाम दर्ज करवाया?
(अ) छत्तीसगढ़ (ब) मध्यप्रदेश
(स) झारखण्ड (द) बिहार ()
5. देश के किस राज्य में पॉलिथीन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है।
(अ) बिहार (ब) सिक्किम
(स) उत्तराखण्ड (द) हरियाणा ()

अति लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अधिकांशतः बीमारियों का कारण क्या है?
2. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के सम्बंध में महान दार्शनिक अरस्तु का कथन लिखिये।
3. भारत का नाम स्वच्छता पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में किस कार्य के कारण सम्मिलित हुआ है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. 'स्वच्छता' का अर्थ क्या है?
2. '10 मिनट धरती के लिए' क्या है?
3. 'सिस्टोसोमियासिस' के कारण कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं?
4. 'बाल स्वच्छता अभियान' के दो उद्देश्य लिखें।
5. लाल डस्टबिन में कौन से अपशिष्ट डाले जाते हैं?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. स्वच्छता क्यों जरूरी है?
2. अस्वच्छता फैलने के क्या कारण हैं?
3. 'बाल स्वच्छता मिशन' के बारे में लिखें।

उत्तरमाला – (1) स, (2) ब, (3) द, (4) ब, (5) ब

कौशल विकास एवं उद्यमिता

सीखने के बिन्दु

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे—

- ◆ कौशल का अर्थ तथा इसकी विशेषताएँ।
- ◆ कौशल विकास तथा इसके लाभ।
- ◆ बारहवीं योजनान्तर्गत कौशल विकास कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास।
- ◆ उद्यमिता का अर्थ तथा इसकी विशेषताएँ।

कौशल क्या है (What is skill)

कौशल से आशय अच्छी तरह से काम करने की योग्यता या समर्थता से है। दूसरे शब्दों में कार्य को युक्ति पूर्वक करने का तरीका कौशल कहलाता है। कौशल एक प्रक्रिया है जिसमें व्यवस्थित प्रयासों के द्वारा कार्य व क्रियाओं में निपुणता लाने का प्रयास किया जाता है। निपुणता लाने में ज्ञान, व्यवहार तथा सोच की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौशल एक प्रकार की क्षमता है जिसमें प्रशिक्षण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रशिक्षण के द्वारा नवीनतम विधियों, पद्धतियों व नवाचारों से अवगत करवाया जाता है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है तथा व्यक्ति के सोच में भी परिवर्तन आता है।

एक उद्यमिता में इसकी सदैव आवश्यकता होती है। क्योंकि किसी कार्य को करना महत्वपूर्ण नहीं होता है वरन् कार्य को व्यवस्थित तरीके से इच्छित परिणाम तक पहुँचाना महत्वपूर्ण होता है। यही उसकी कौशलता है। अभी हाल ही में 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'प्रथम विश्व युवा' कौशल दिवस' के अवसर पर 'कौशल भारत' कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहुत तीव्र गति से व्यक्तियों को बड़ी संख्या में कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर भारत को विश्व में 'मानव संसाधन की राजधानी' बनाना है।

कौशल की विशेषताएँ (Characteristics of Skill)

कौशल की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्न हैं –

- 1 कौशल एक प्रक्रिया है।
- 2 कौशल कार्य व क्रियाओं में निपुणता लाता है।
- 3 कौशल एक प्रकार की क्षमता है जिसमें प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- 4 कौशल में कार्य करने का व्यवस्थित तरीका होता है।
- 5 कौशल द्वारा ज्ञान में वृद्धि होती है।
- 6 कौशल से व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण बनता है।
- 7 कौशल से संप्रेषण कला में भी सुधार आता है।

कौशल विकास क्या है (What is Skill Development)

कौशल विकास का आशय है – व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। कौशल के मापदंडों को अपनाकर संगठन विकास में व्यापक अनुकूल परिवर्तन लाना संभव हो पाता है। नियोक्ता अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण व विकास द्वारा कौशल विकास का कार्य करते हैं। भारत में उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर कुल कर्मचारियों में से केवल दो प्रतिशत को ही प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास से जोड़ा जा सका है। इस प्रकार भारत में अभी इसके विकास की पर्याप्त संभावनाएँ मौजूद हैं। इसी कारणवश भारत सरकार व राजस्थान सरकार कौशल तथा उद्यमिता विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

कौशल विकास के लाभ

आर्थिक उदारीकरण के कारण विश्व पटल पर कौशल विकास की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र की नवीन चुनौतियों व प्रक्रिया में अन्तरराष्ट्रीय मापदंडों में वृद्धि के कारण कौशल विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। अन्तरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा सामूहिक कौशल विकास कार्यक्रमों पर लगातार बल दिया जा रहा है। जिससे व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास हो और जीवन पर्यन्त सीखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सके। अन्तरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए भी कौशल विकास अपरिहार्य हो गया है।

कौशल विकास से निम्न लाभ होते हैं –

1. **आत्म विश्वास में वृद्धि (Increase in confidence)** – जब हम विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं तो हमारे आत्म विश्वास में स्वतः ही वृद्धि हो जाती है। कार्य व क्रियाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी होने से आत्मविश्वास में स्वतः वृद्धि हो जाती है।
2. **विश्वसनीय छवि बनाना (Make more Credible)** – कौशलता आने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है साथ ही हमारा व्यवहार व सोच में भी व्यापक परिवर्तन होता है। इस कारण हम प्रत्येक कार्य बहुत ही अच्छी तरह से संपादित करते हैं। उससे परिणाम भी अच्छे प्राप्त होते हैं इससे विश्वसनीय छवि का निर्माण होता है।
3. **अन्य व्यक्तियों का बातचीत हेतु उत्साही होना (Encourage people to interact with you)** – कुशल व्यक्ति ज्यादा अच्छी प्रकार से संप्रेषण कर पाते हैं और दूसरों के साथ बात करने में सहज रहते हैं। इस कारण अन्य व्यक्ति आकर्षित होते हैं।
4. **नेतृत्व व प्रेरणा क्षमता का विकास (Enhances your capacity to lead and motivate)** – ऐसे निपुण व्यक्ति अभिप्रेरित भी जल्दी होते हैं। अन्य व्यक्ति आपके विचारों व सोच को गंभीरता से लेते हैं। ऐसे व्यक्ति नेतृत्व कला में भी माहिर माने जाते हैं।

5. अच्छे व्यावसायिक संबंध बनाना (Make good Business Relationship) – परस्पर सम्मान व बुद्धिचातुर्य से अच्छे संबंधों का निर्माण संभव है। अच्छे व्यावसायिक संबंधों के निर्माण से व्यवसाय का चहुँमुखी विकास होता है। कौशल के विकास से यह सब संभव है।

6. संप्रेषण योग्यता में सुधार (It improves Communication Skills) – कौशलता विकास से संप्रेषण कला में भी सुधार आता है। व्यक्ति आपके द्वारा कही बातों से प्रभावित होता है तथा आप क्या कहते हैं उसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। मौखिक संप्रेषण कला भी व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। आपके संदेश की प्रभावोत्पादक बोलने की कला पर निर्भर करती है।

7. रोजगार अवसरों में वृद्धि (Increased Employment Opportunities)– कौशल विकास से रोजगार अवसरों में भी वृद्धि होती है। आधुनिक व्यावसायिक संस्थाएँ कुशल कार्मिकों को रखने में प्राथमिकता देती है। इससे रोजगार अवसरों में वृद्धि हो जाती है।

8. रोजगार विकास अवसरों में वृद्धि (Career Development Opportunities)– कौशल विकास से व्यक्ति के ज्ञान व सोच में व्यापक परिवर्तन आता है। इससे व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता से कार्य करता है तथा उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहने का भाव भी आ जाता है। इससे उसकी निरंतर उन्नति होती रहती है। इससे रोजगार विकास अवसरों में वृद्धि होती है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना एवं कौशल विकास

कौशल विकास कार्यक्रम का महत्व पहचान कर भारत सरकार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इसके विकास एवं विस्तार पर विशेष बल दे रही है। इस योजनान्तर्गत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं –

1. बढ़ रही युवा जनसंख्या को रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करने हेतु उन्नत प्रशिक्षण एवं कौशल विकास महत्वपूर्ण है। उन्नति की गति को तीव्र बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी है। सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा प्रशिक्षण एवं कौशल विकास बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है।

2. राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का निर्माण किया गया है। इस नीति निर्माण का लक्ष्य, सभी व्यक्तियों को अच्छे रोजगार सुलभ कराने तथा विश्व बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उन्नत कौशल ज्ञान तथा योग्यताओं के माध्यम से सक्षम बनाना है। यह नीति सभी को विशेष रूप से युवा, महिलाओं, तथा वंचित वर्गों को कौशल प्रदान तथा प्राप्त करने के अवसरों का सृजन करती है। यह नीति महत्वपूर्ण रूप में बाजार की वर्तमान तथा बढ़ रही रोजगार आवश्यकताओं से संबंधित उच्च स्तर के कुशल कार्य-बल तथा उद्यमियों के विकास पर बल देती है।

3. सरकार द्वारा कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों के प्लेसमेन्ट में भी वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य के बावजूद, अधिकांश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकतर छात्रों का प्लेसमेन्ट हो रहा है।

4. कौशल प्रशिक्षण को दसवीं कक्षा से औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाना है।

5. बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौशल में अंतराल का पता लगाकर उसे दूर करना

भी प्रस्तावित है। कौशल विकास के लिए समन्वित कार्य योजना के प्रमुख घटक—राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसके लिए एनएसडीसी को दिये जाने वाले समर्थन में पर्याप्त वृद्धि की गयी है। बारहवीं योजना के दौरान सभी राज्यों में राज्य कौशल विकास मिशनों को पूर्ण कार्यात्मक एवं प्रभावी बनाने पर बल दिया गया है।

6. कौशल प्रशिक्षण एक आवश्यकता/माँग आधारित रूप में चलाया जाता है। इस हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस कार्यवाही किये जाने की निरंतर आवश्यकता है। कौशल विकास के लिए पाठ्यक्रम को नियोक्ताओं तथा उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अनवरत आधार पर स्थिति के अनुरूप पुनः निर्धारित करना आवश्यक है। स्वरोजगार के उपलब्ध अवसरों के अनुसार भी इसमें परिवर्तन किये जाएँगे। वर्तमान शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में लागत तथा समय की भारी बचत सुनिश्चित होगी। कौशल विकास के लिए निर्धन व्यक्तियों को प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान या ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता देने की योजना पर भी सरकार गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है।

7. विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के व्यापक विस्तार व सुधार पर ध्यान दिया गया है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (आई.टी.सी.) के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नयन की दृष्टि से सार्वजनिक – निजी सहभागिता (पी.पी.पी.) के द्वारा उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में स्थापित किया जाना भी प्रस्तावित है।

8. सरकार का लक्ष्य है कि कुशल कार्य बल में निरंतर वृद्धि हो। इस योजना अवधि तक व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से औपचारिक कौशल प्राप्त कार्य—बल की प्रतिशतता को लगभग दोगुना से अधिक किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत वर्तमान में तीन संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास प्रयासों को नीतिगत दिशा दे रही है और उनकी निरंतर समीक्षा भी की जा रही है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय परिषद, कौशल विकास के क्रियान्वयन पर निरंतर अनेक रणनीतियों पर कार्य रही है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन. एस. डी. सी.) एक गैर लाभ संस्थान है। यह संस्थान संगठित तथा गैर-संगठित क्षेत्र समेत श्रम बाजार के लिए कौशल प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने में प्रयासरत है।

उद्यमिता (Entrepreneurship) –

जोखिम व अनिश्चितता के साथ कुछ विशिष्ट करने की योग्यता उद्यम कहलाती है। ऐसे व्यक्तियों के समूह को साहसी अथवा उद्यमिता कहते हैं। जब कोई साहसी अपनी योग्यता व क्षमता का प्रयोग कर व्यावसायिक इकाई प्रारंभ करता है तथा नवाचार, सृजनात्मकता का निरंतर उपयोग करता है, तो यह क्रिया उद्यमिता कहलाती है। उद्यमिता के परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण को निम्न चार्ट द्वारा आसानी से समझा जा सकता है –

उद्यमिता : परंपरागत एवं आधुनिक दृष्टिकोण
उद्यमिता

(व्यूहरचनात्मक योग्यता)

परंपरागत दृष्टिकोण
(जोखिम एवं अनिश्चितता वहन तथा प्रवर्तन)

आधुनिक दृष्टिकोण
(नवप्रवर्तन, संगठन योग्यता,
वातावरण समन्वय, निर्णयन, नवीन
अवसरों की खोज एवं नेतृत्व)

प्रारंभ में उद्यमिता के विकास की जरूरत मुख्यतः गरीबी और बेरोजगारी की समस्या से निपटने हेतु महसूस हुई। लेकिन प्रारंभिक वर्षों में बड़े और पूँजीगत उद्योगों की प्रबंधकीय निपुणता एवं वित्तीय संसाधनों पर केन्द्रित रही। लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा मानव संसाधन विकास पर कम ध्यान दिया गया। दूसरे शब्दों में विकास के लिए अत्यधिक अभिप्रेरित उद्यमिता सह प्रबंधकों के चहुँमुखी विकास के लिए कोई विशेष योजना अथवा कार्यक्रमों का निर्धारण नहीं किया गया। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि आर्थिक संकेन्द्रक को घटाने, स्वरोजगार को बढ़ाने, नये कार्यों के सृजन, बड़े उद्योगों की सहायता तथा राष्ट्रीय सम्पदा के मूल्यों के विकास तथा मानवीय संसाधनों के उपयोग के लिए भारतीय समाज में बहुत सामर्थ्य है। फलस्वरूप भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा इस क्षेत्र पर विशेष बल देने के लिए विभिन्न प्रभावी योजनाएँ बनायी गयी हैं, जिससे आने वाले वर्षों में विश्व के आर्थिक पटल पर भारत मजबूत आर्थिक ढाँचे के रूप में विकसित हो सकेगा।

उपर्युक्त कार्यक्रमों से जुड़े विशेषज्ञों ने अपने-अपने प्रयोगों के दौरान यह पाया कि व्यवसाय की स्थापना व्यावसायिक समुदाय का सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। किसी भी समुदाय, जाति, शैक्षणिक अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति, व्यवसाय को स्थापित कर उसका सफलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं। उन्होंने पाया कि यहाँ तक महिलाएँ भी पुरुषों की तरह कुशलतापूर्वक व्यवसाय कर सकती हैं।

इसी क्रम में यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार कौशल विकास एवं रोजगार परक कार्यक्रमों पर विशेष बल दे रही है। इसी कारण आर मोल, आर एस एल डी सी एवं आई टी आई को शामिल करते हुए इनके वार्षिक बजट में 360 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए प्रतिवर्ष औसतन 251 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह राशि बढ़कर 428 करोड़ रुपये से अधिक हो गयी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि एसोचैम ने राजस्थान राज्य को 'बेस्ट स्टेट इन स्किल डवलपमेंट' अवार्ड के लिए फिर चयन किया है। औद्योगिक परिदृश्य को बदलने के लिए राजस्थान सरकार ने नये बजट 2016-17 में होटल एवं रिसोर्ट पर स्थानीय संरक्षण शुल्क, कचरे से उत्पादन पर बिजली खरीद की गारंटी, लघु तथा सूक्ष्म उद्योगों में निवेश के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम तथा शिक्षा, कौशल विकास, मुद्रा योजना, स्टार्ट अप नीतियों के तहत ऋणों पर स्टॉप ड्यूटी में छूट आदि बातें शामिल की हैं।

इक्कीसवीं सदी उद्यमिता की सदी है। उद्यमिता युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है साथ ही विश्व के आर्थिक स्वरूप में भी व्यापक

परिवर्तन ला रही है। इस संदर्भ में भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने उद्यमिता में निहित जोखिम एवं उद्यमिता के महत्व को समझते हुए ही यह सुझाया है कि “उद्यमिता के प्रति अभिरूचि प्रारंभ से एवं विश्वविद्यालयी वातावरण में ही उत्पन्न करनी चाहिए। हमें अपने विद्यार्थियों को व्यापक हितों के लिए अपने पारंपरिक मूल्यों के भीतर अच्छे अवसरों में नपी तुली जोखिम उठाने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें सही कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। यही क्षमता उन्हें भविष्य में चुनौतीपूर्ण कार्य करने के योग्य बनाएगी।”

उद्यमिता विकास सूचकांक में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। यह एक सुखद संदेश है। इसलिए सरकार विभिन्न योजनाओं के द्वारा उद्यमिता बढ़ाने पर पुरजोर कोशिश कर रही है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत की आधी से अधिक जनसंख्या युवा है। इसलिए भारत सरकार व राजस्थान सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कौशल विकास, रोजगार विकास, प्रशिक्षण व नवाचार के माध्यम से उद्यमिता के विकास हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं।

उद्यमिता बढ़ाने में नवीनतम प्रयास – अभी हाल ही में 14 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उद्यमिता बढ़ाने में एक और नयी योजना स्टैंड अप स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और उनके सामाजिक उत्थान में मदद करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य “नौकरी तलाशने वालों” को “नौकरी पैदा करने वालों में” बदलना है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए ‘ग्रामोदय से भारत उदय अभियान’ शुरू किया गया है।

उद्यमिता की विशेषताएँ (Characteristics of Entrepreneurship)

उद्यमिता की निम्नलिखित विशेषताएँ पायी जाती हैं।

1. नवप्रवर्तन करने की योग्यता (Ability to Innovate) –

उद्यमिता का मुख्य तत्त्व नवप्रवर्तन करने की योग्यता या क्षमता है। यह व्यक्ति को कुछ नया कर दिखाने तथा प्राप्त करने की प्रेरणा देता है।

2 व्यवसाय अभिमुखी प्रवृत्ति (It is a Business Oriented Tendency) –

यह व्यक्ति को व्यावसायिक चिंतन करने, व्यावसायिक योजना बनाने एवं व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। यह निरंतर व्यवसाय के विकास एवं विस्तार पर बल देती है।

3 अवसर खोजने की प्रक्रिया (A process of Searching Opportunity) -

उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी उपयोगिता वाले उत्पाद या सेवा का सृजन या नवाचार करने का अवसर खोजने का प्रयास किया जाता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है।

4 जोखिम (Risk) – उद्यमिता की एक विशेषता यह है कि इसमें जोखिम निहित है। उद्यमिता में जोखिम अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है। प्रायः नवाचार के असफल होने, मूल्यों में उतार-चढ़ाव होने, ग्राहकों की इच्छाओं, फैशन में परिवर्तन होने, प्रतिस्पर्धा बढ़ने, उत्पादन संसाधनों की आपूर्ति में कमी आने आदि के कारण जोखिम उत्पन्न हो जाती है। परिणामस्वरूप, उद्यमिता को वित्तीय जोखिम ही नहीं, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक, वैधानिक आदि सभी प्रकार की जोखिमों को वहन करना पड़ता है।

5 प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता (Managerial Skills and Leadership Capacity) – प्रबंधकीय चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता उद्यमिता के दो प्रमुख आधारभूत पहलू हैं – उनका मानना है कि वही व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है जिसमें धन कमाने एवं संचित करने की लालसा की अपेक्षा प्रबंध एवं नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है।

6 एक जीवन शैली (A Life Style) – उद्यमिता जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का ढंग है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कल्पनाशील एवं रचनात्मक होना आवश्यक है। यही नहीं, उसमें योजना बनाने, निर्णय लेने एवं क्रियान्वित करने की योग्यता भी होनी चाहिए।

7 सार्वभौमिक क्रिया (Universal Activity) – उद्यमिता एक सार्वभौमिक क्रिया है क्योंकि मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में साहस की आवश्यकता होती है, जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, अंतरिक्ष में उड़ान, राजनीति, सेना एवं खेलकूद आदि।

8 उद्यमिता वातावरण की उपज है (Entrepreneurship is Created by Environment) – उद्यमिता की प्रवृत्ति किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होती है। इस प्रकार के वातावरण से मनुष्य के विचारों को दिशा मिलती है। जिस देश में उद्यमिता वातावरण अनुकूल होता है, वहाँ उद्यम का विकास उच्च स्तर पर होता है।

अभ्यास प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

प्र.1. कौशल विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है ?

अ. शिक्षण ब. प्रशिक्षण स. निर्णयन द. नियोजन

प्र.2. कौशल विकास से लाभ होते हैं –

अ. आत्मविश्वास में वृद्धि
ब. सम्प्रेषण योग्यता में सुधार
स. विश्वसनीय छवि बनना

द. उपर्युक्त सभी

प्र.3. उद्यम के प्रवर्तन से क्या आशय है?

अ. प्रारंभ करने से
ब. विकसित करने से
स. विस्तार करने से
द. इनमें से कोई नहीं

- प्र.4. उद्यमिता का आधुनिक दृष्टिकोण किस पर बल देता है?
अ. नवप्रवर्तन ब. वातावरण समन्वय
स. नवीन अवसरों की खोज द. उपर्युक्त सभी
- प्र.5. उद्यमिता विकास सूचकांक में दुनिया में भारत का कौनसा स्थान है?
अ. दूसरा ब. पाँचवा स. तीसरा द. चौथा

अति-लघूत्तरात्मक प्रश्न

- प्र.1. कौशल क्या है?
प्र.2. कौशल विकास को समझाइए।
प्र.3. उद्यमिता से क्या आशय है?
प्र.4. उद्यमिता की दो विशेषताएँ बताइए।
प्र.5. कौशल विकास के दो लाभ बताइए।

लघूत्तरात्मक प्रश्न

- प्र.1. नवप्रवर्तन क्या है?
प्र.2. जोखिम को समझाइए?
प्र.3. 'उद्यमिता एक सार्वभौमिक क्रिया है।' समझाइए।
प्र.4. 'उद्यमिता वातावरण की उपज है।' कैसे?
प्र.5. उद्यमिता की परंपरागत व नवीन विचारधारा क्या हैं?

निबंधात्मक प्रश्न

- प्र.1. उद्यमिता से क्या आशय है ? इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए।
प्र.2. कौशल विकास के लाभों को विस्तार से समझाइए।
प्र.3. बारहवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार कौशल विकास योजना बढ़ाने में किस प्रकार सहायता कर रही है ? वर्णन कीजिए।

उत्तरमाला प्र.1 ब, प्र.2 द, प्र.3 अ, प्र.4 द, प्र.5 अ

जल स्वावलंबन

वर्षा जल संरक्षण—सर्वोच्च आवश्यकता

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में जल की स्थिति अत्यन्त विकट है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.4 प्रतिशत है तथा राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या की 5.5 प्रतिशत है। राज्य का पशुधन देश के पशुधन का 18.7 प्रतिशत है। राज्य में कुल सतही जल देश में उपलब्ध सतही जल का मात्र 1.16 प्रतिशत ही है। राज्य का दो-तिहाई भाग वृहद थार रेगिस्तान है। देश के कुल 142 रेगिस्तानी ब्लॉकों में से 85 ब्लॉक हमारे राजस्थान में है। भू-जल की स्थिति भी अत्यधिक चिंतनीय है। पिछले दो दशकों में यह समस्या बहुत तेजी से बढ़ी है। भू-जल दोहन का स्तर जो वर्ष 1984 में मात्र 35 प्रतिशत था, बढ़कर वर्ष 2008 में 138 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गया है। राज्य में वर्ष 2013 के आँकड़ों के अनुसार कुल 248 ब्लॉक में से मात्र 44 ब्लॉक ही भू-जल की दृष्टि से सुरक्षित रह गए हैं। यह अनुसंधान या उपरोक्त आँकड़े राज्य में विकट जल संसाधनों की स्थिति से निपटने के लिये शीघ्र सुधारवादी तरीकों की आवश्यकता की ओर इंगित करता है।

राजस्थान राज्य हमेशा से जल की कमी वाला क्षेत्र रहा है क्योंकि राज्य में वर्षा अनियमित होती है एवं यहाँ पर वर्षा के प्रतिमान में भारी अन्तर है। वार्षिक औसतन वर्षा जहाँ जैसलमेर में 100 मिलीमीटर है वहीं झालावाड़ में 800 मिलीमीटर तक होती है। राज्य की वार्षिक औसतन वर्षा 531 मिलीमीटर है। राज्य के 22 पूर्वी जिलों के लिये यह औसत 688 मिलीमीटर है, जबकि शेष पश्चिमी जिलों के लिए यह औसत केवल 318 मिलीमीटर है। राज्य में अक्सर अकाल की स्थिति बनी रहती है। राज्य के बहुत बड़े भाग में पेयजल के लिए भू-जल नगण्य मात्रा में ही उपलब्ध है और यही कारण है कि इस क्षेत्र में अधिकाँशतः गर्मी के महीनों में पेयजल ट्रक एवं रेल के माध्यम से पहुँचाना पड़ता है।

जनसंख्या वृद्धि एवं अन्य प्रकार की जल आवश्यकताओं में वृद्धि से राज्य अत्यधिक जल संकट की ओर अग्रसर हो रहा है। राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता लगभग 780 घनमीटर (जुलाई, 2009 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर) है जबकि न्यूनतम आवश्यकता 100 घनमीटर आँकी गई है। यही स्थिति रही तो इस बात की आशंका है कि वर्ष 2050 तक जल की उपलब्धता मात्र 250 घनमीटर ही रह जाएगी। स्वीकृत अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार 500 घनमीटर से कम जल उपलब्धता अत्यधिक जल संकट का द्योतक है। जनसंख्या वृद्धि एवं जीवन शैली बदलाव के कारण पेयजल की माँग में अत्यधिक वृद्धि हुई है साथ ही कृषि कार्यों के लिए भी जल की माँग कई गुना बढ़ गई है।

जल की माँग एवं आपूर्ति में बढ़ता असंतुलन

राज्य में जल की उपलब्धता, जल की माँग के अनुरूप नहीं है। वर्तमान में जल की आपूर्ति एवं माँग में 8 बिलियन घनमीटर का अन्तर है और यह अन्तर आगामी 5 वर्षों में काफी बढ़ जाएगा।

जल की उपलब्धता की अनिश्चितता

राजस्थान के अधिकाँश हिस्सों में वर्षा का जल न केवल अपर्याप्त है, बल्कि प्रति वर्ष

एवं स्थान दर स्थान पर भी वर्षा की मात्रा में भारी अन्तर आ रहा है। वर्षा जल मानसून के दो माह में ही प्राप्त होता है। वास्तव में तो वर्षा दिवस गिनती के ही होते हैं। राज्य को अन्तर्राज्यीय जल बँटवारा समझौतों से आवंटित जल पर भी निर्भर रहना होता है जो नदियों में प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा एवं सम्बन्धित राज्यों की इच्छा पर आधारित है।

जल गुणवत्ता में गिरावट

भू-जल पर बढ़ती निर्भरता के कारण भू-जल के स्रोत तीव्र गति से खाली हो रहे हैं। पेयजल के लिए लगभग 90 प्रतिशत एवं कृषि क्षेत्र में जल आवश्यकता का 60 प्रतिशत जल भू-जल से ही दोहित किया जा रहा है। इससे न केवल भू-जल का स्तर तेजी से गिर रहा है अपितु भू-जल गुणवत्ता में भी लगातार आ रही गिरावट चिन्ताजनक है। रबी की फसल के लिए अत्यधिक भू-जल दोहन के कारण हमारे प्रान्त के बहुत से इलाकों में गर्मी में पीने के पानी की कमी की अत्यधिक विकट स्थिति बन जाती है।

वर्षा जल संरक्षण क्या है

सरल भाषा में वर्षा जल संरक्षण का मतलब है बारिश के पानी को इकट्ठा कर उसका भण्डारण करना जिसका उपयोग बाद में विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है। छतों, सड़कों, खुले मैदानों आदि से बहने वाले जल को एकत्रित करके भू-जल का पुनर्भरण हो सकता है। वर्षा जल संरक्षण करना मुश्किल नहीं है। इसे सभी अपना सकते हैं – व्यक्तिगत रूप से घरों में, कॉलोनियों में, बिल्डर, संस्थाएँ, स्कूल और कॉलेज अस्पताल, उद्योग इत्यादि द्वारा।

हम सभी के लिए अपनी आवश्यकतानुसार वर्षा जल संग्रहण तकनीक स्थापित करना सरल एवं सुविधाजनक है इसके लिए स्वायत्तशासी संस्थाओं में वर्षा जल संरक्षण तकनीक में दक्ष व्यक्तियों की सूची उपलब्ध है जो मदद एवं मार्गदर्शन के लिये सदैव तैयार हैं।

वर्षा जल संरक्षण क्यों करें

- ◆ इससे जल की माँग पूरी होती है।
- ◆ जल आपूर्ति का सतत् स्रोत उपलब्ध हो जाता है।
- ◆ कम लागत, सामान्य तकनीक जिसे हर आम आदमी अपना सकता है।
- ◆ भू-जल की अपेक्षा वर्षा जल ज्यादा शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त होता है।
- ◆ भू-जल का पुनर्भरण करने से भविष्य में भी आवश्यकता के अनुसार जल की उपलब्धता बनी रह सकती है।

वर्षा जल संग्रहण कानून

राज्य ने सभी शहरी क्षेत्र में 300 वर्गमीटर और इससे ज्यादा आकार के भूखण्डों के लिए वर्षा जल संरक्षण संरचना बनाना वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया है।

वर्षा जल संरक्षण ढाँचे की लागत

जहाँ निर्माण के छत का क्षेत्र 100 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक होता है, वहाँ किसी

भी प्रकार के वर्षा जल संरक्षण ढाँचों की अनुमानित लागत 8 हजार से 40 हजार तक होती है। कुँ तथा जलाशय, जिन्हें सुधार कर भी जल संरक्षण के काम में लेने योग्य बनाया जा सकता है, इनके लिए लागत का प्रमुख भाग पाइप लाइनों के कनेक्शन जितना ही होता है।

वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव

वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं का रखरखाव बहुत ही आसान है।

- ◆ मानसून से पहले छत को साफ कर दें।
- ◆ वर्षा से पूर्व टैंक को पूरा खाली कर उसे साफ कर दें।
- ◆ मानसून की पहली वर्षा के पानी की सीधी निकासी करें।
- ◆ वर्षा जल अन्दर जाने वाले व बाहर निकलने वाले पानी के पाइप को अच्छी तरह बंद रखे ताकि कोई कीड़े एवं गंदगी अन्दर नहीं जाएँ।
- ◆ मण्डार टैंक में रिसाव नहीं हो, पानी निकालने वाली बाल्टी साफ हो।

जल एक सीमित एवं बहुमूल्य जल जीवनदायी स्रोत है। आधुनिक काल में जल का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। सतत जल प्रबन्धन के लिए पृथ्वी के प्राकृतिक जल चक्र एवं भू-जलग्रहण को समझना होगा। जिसमें जलग्रहण संरक्षण एवं जल संरक्षण दोनों ही सम्मिलित हैं।

राजस्थान राज्य के परिप्रेक्ष्य में भू-संरक्षण एवं जलग्रहण विकास एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में विस्तार से आगामी कक्षाओं में वर्णन किया जाएगा। इसी के दृष्टिगत “चार जल संकल्पना” को समझना अति आवश्यक है। चार जल संकल्पना (केवल ऐसे गैर मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 500 मि.मी. से अधिक हो एवं स्वस्पष्ट नालियाँ उपलब्ध हों)

श्री हनुमथा रावजी द्वारा विकसित “चार जल संकल्पना” यह चार जल है :-

- | | | |
|---------------|---|--|
| I. वर्षा जल | — | यह अन्य तीन जलों का मुख्य स्रोत है। |
| II. सतही जल | — | यह वर्षा उपरान्त उत्पन्न जल प्रवाह है। |
| III. मृदा नमी | — | यह वह जल है, जो फसल की जड़ क्षेत्र में मृदा कणों में उपलब्ध होता है एवं वर्षा एवं सतही जल के जमीन के अन्दर रिसाव के कारण जल स्तर तक की असंतृप्त मृदाओं में उपलब्ध होता है। |
| IV. भू-जल | — | वर्षा जल एवं सतही जल के भूमि के गहराई तक रिसाव के कारण जमीन की संतृप्त मृदा एवं चट्टानी क्षेत्र में उपलब्ध जल, जिसका निकास संभव है। |

जलागम क्षेत्र विकास (चार जल संकल्पनाओं के अनुरूप) :

किसी तालाब या चेकडैम का जलागम क्षेत्र इस प्रकार से विकसित किया जाएँ, जिससे जलागम क्षेत्र में भू-जल पुनर्भरण से भू-जल का स्तर बढ़ जाएँ और किसी जलागम क्षेत्र के परिपूर्ण विकास के लिये निम्न संरचनात्मक एवं वानस्पतिक गतिविधियों को क्रियान्वित

करना जरूरी है :-

अ. संरचनात्मक : पहाड़ी क्षेत्रों से विभिन्न धाराओं के रूप में वर्षा जल तेजी से बहकर मैदानी क्षेत्रों से निकलता है। पहाड़ी क्षेत्रों से विभिन्न धाराओं के रूप में वर्षा जल बहता है। इन धाराओं में छोटी-छोटी संरचनाओं का निर्माण कर इस वर्षा जल को रोका जा सकता है एवं इनके बहाव की गति को भी कम किया जा सकता है ताकि मैदानी क्षेत्रों में भूमि कटाव नहीं हो। मैदानी क्षेत्रों में भी पानी के बहाव को रोक कर वर्षा जल संग्रहित करने के उद्देश्य से छोटे-छोटे कच्चे-पक्के जल संरक्षण ढाँचों का निर्माण करवाया जा सकता है। मुख्य रूप से वर्षा जल को पहाड़ी क्षेत्र से ही रोकना मुख्य उद्देश्य है ताकि वर्षा जल संरक्षण के साथ-साथ भूमि कटाव को भी रोका जा सके।

ब. वानस्पतिक : सभी प्रकार की वेस्टलैंड (बंजर भूमि) एवं सार्वजनिक भूमि पर तीन स्तरीय कैनोपी विकसित करने हेतु पौधारोपण, चयनित सार्वजनिक भूमि पर चारागाह विकास, सभी खेतों की सीमाओं पर मेड़ बन्दी के साथ पौधारोपण, वर्षाजन्य खेती की जमीनों पर आच्छादित फसल, ग्रीन मैन्थोर वर्षाजन्य खेती में, खाइयों के ढलान में अगेव या समकक्ष रोपण एवं खाइयों के किनारों पर पौधारोपण, चारा, इमारती लकड़ी, जलावन तथा फलदार वृक्षों के लिये नर्सरी आदि गतिविधियाँ की जा सकती है।

उपरोक्त गतिविधियाँ एवं संरचनाएँ सुझावात्मक है, तथा जलग्रहण क्षेत्र की जल की माँग के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती है। यदि जलागम क्षेत्र में सुझाए गए उपायों को सही ढंग से कियान्वित किया जाता है, तो निम्नानुसार परिणाम परिलक्षित हो सकते हैं:-

(अ) वर्षा का मौसम समाप्त होने के पश्चात भी जलग्रहण क्षेत्र की मुख्य धारा में कई माह तक पानी बहते रहकर उसका सतत धारा प्रवाह में तब्दील होना।

(ब) जलग्रहण क्षेत्र की धाराओं में बहने वाला पानी साफ/कम गंदलापन लिए हुए (जैसा कि घने जंगलों से निकलती हुई धाराओं में बहता है) होगा, जिससे यह कहा जा सकता है कि जलग्रहण क्षेत्र में भू-क्षरण नहीं हो रहा है।

(स) वर्तमान सतह से नीचे 40 से 80 फीट के भू-जल स्तर को ऊपर उठना, जिससे सूखे के वर्षों में भी गर्मियों में पर्याप्त पानी की प्राप्ति हो सकेगी।

(द) वर्षा आधारित 30-35 प्रतिशत कृषि जमीनों में रबी की फसलों की एक हल्की सिंचाई के लिये भू-जल उपलब्ध हो सकेगा। वर्तमान में यह 10 प्रतिशत से कम जमीनों के लिये उपलब्ध होता है।

(य) जलग्रहण क्षेत्र सूखे के प्रभाव से मुक्त हो सकेगा। इसका अर्थ यह है कि सूखा पड़ने वाले वर्षों में भी जलग्रहण क्षेत्र में खरीफ की फसलों के लिये जीवनदायी सिंचाई, जलग्रहण क्षेत्र के अन्दर बागवानी फसलों के सिंचाई के लिये वर्षभर पर्याप्त पानी, तथा लोगों एवं पशुधन के लिये आवश्यक पानी की पूर्ति हो सकेगी।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

भारत के ग्रामीण विकास के संदर्भ में यह पहला अवसर है, जब ग्रामीण श्रमिकों के लिए रोजगार के अधिकार को एक अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (नरेगा) के अनुसार अकुशल कार्य के लिए इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिन का माँग आधारित काम आवंटित किया

जाता है। 31 दिसम्बर, 2009 को इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (मनरेगा) किया गया। योजना के विभिन्न उद्देश्यों में से एक गाँवों में जंगल, जल एवं पर्यावरण की रक्षा करना भी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 04.01.2014 को अधिनियम की अनुसूची 1 में किये गये परिवर्तन के उपरान्त अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुसार निम्न कार्य योजनान्तर्गत कराया जाना अनुमत है:-


पार्ट-अ: प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण-

- (i) पेय जल स्रोत सहित परिष्कृत भू-जल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बाँध, मिट्टी के बाँध, ठहराव बाँध, रोक बाँधों जैसे भू-जल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण।
- (ii) जल संचय के व्यापक उपचार के परिणामस्वरूप खाईं रूपरेखा, कगार, खाइ पुश्ता, गोलाशम अवरोध पीपा ढाँचे और झरना शेड विकास जैसे जलसंभरण प्रबंधन कार्य।
- (iii) सूक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य और सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन और अनुरक्षण।
- (iv) सिंचाई कुंडों और अन्य जलाशयों की डिसिल्टिंग सहित पारंपरिक जलाशयों का पुनर्जीवन।
- (v) गृहस्थी के भोगाधिकार सम्यक् रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड तटाग्र और तटीय पट्टी में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना, और बागवानी।
- (vi) सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

पार्ट-ब' महात्मा गाँधी नरेगा योजना में संपादित किये जाने वाले कार्य:- मनरेगा के तहत अनुमत जलग्रहण प्रबन्धन कार्य।

पार्ट-स' अन्य विभागों के माध्यम से सम्पादित किये जाने वाले कार्य :- समन्वित जलग्रहण प्रबन्धन योजनान्तर्गत तैयार डीपीआर में अन्य विभागों/योजनाओं यथा उद्यानिकी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, कृषि विभाग, आजीविका मिशन की योजनाओं से कन्वर्जेन्स के माध्यम से लिए जाने वाले कार्यों का भी परियोजना प्रतिवेदन में अलग से पार्ट-स' में उल्लेख किया जाता है। उदाहरण के तौर पर इन विभागों की कुछ योजनाओं का वर्णन निम्न है:-

- (i) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY),
- (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM),
- (iii) राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन (NHM),
- (iv) कृषि तकनीकी प्रबंधन संस्था (ATMA),
- (v) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM),
- (vi) नेशनल डेयरी प्लान (NDP)
- (vii) लाइवस्टॉक हेल्थ एण्ड डीजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स (LHDC),
- (viii) बैकवार्ड रिजन ग्राण्ट फण्ड (BRGF),
- (ix) नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डवलपमेन्ट (NABARD)



चित्र संख्या-1 : भूसा पलवार



चित्र संख्या-2 : प्लास्टिक पलवार



चित्र संख्या-3 : छत जल संरक्षण



चित्र संख्या-4 : खेत का जल संरक्षण

जल के प्रभावी उपयोग से अधिक उत्पादन:-

कम उपलब्ध जल से अधिक उपज प्राप्त करने हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि जल का प्रभावी उपयोग किया जावे, इसके लिए :-

- कम जल चाहने वाली फसलें यथा दालें, ज्वार, बाजरा, चना, सरसों, फलदार पौधे लगाये जाएँ ।
- क्षेत्र में जल उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फसल विविधिकरण को अपनाया जाना चाहिए जिसमें क्षेत्र में जलवायु उपयोगिता के अनुसार अलसी, ईसबगोल फसलों को बढ़ावा दिया जाएँ ।
- फसलों में सिंचाई उनकी विशेष कान्तिक अवस्थाओं यथा जड़ विकास/वृद्धि के समय, फूल आने से पूर्व एवं दाना बनते समय पर जल उपलब्धतानुसार करनी चाहिए ।
- जल बचत हेतु क्षेत्र विशेष की सिफारिश के अनुसार कम समय में पकने वाली फसलों का एवं सूखा सहन करने वाली फसलों की किस्मों का चयन करना चाहिए ।
- उन्नत बीजों का उपयोग ।
- जैविक कृषि को बढ़ावा देना ।
- मृदा जल को संरक्षित करने हेतु पलवार (मल्विंग) करना ।
- उत्कृष्ट सिंचाई प्रणाली यथा बूँद-बूँद सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली का उपयोग करना चाहिए ।

जल के कुशलतम उपयोग हेतु सिंचाई की उन्नत विधियाँ –

1. सतही सिंचाई :- भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों में सतही सिंचाई होती है। इसमें प्रमुख रूप से नहरों से नालियों द्वारा खेत में पानी का वितरण किया जाना तथा एक किनारे से खेत में पानी फैलाया जाना है। इस प्रणाली में खेत के उपयुक्त रूप से तैयार न होने पर पानी का बहुत नुकसान होता है। यदि खेत को समतल कर दिया जाए तो इस प्रणाली में भी पानी की बचत की जा सकती है। आजकल लेजर तकनीक से किसान अपना खेत समतल कर सकते हैं। इससे जलोपयोग दक्षता में वृद्धि होती है। फलस्वरूप फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। जलोपयोग दक्षता के साथ-साथ उर्वरकोपयोग दक्षता भी बढ़ती है।

2. तालाब सिंचाई :- फसलों को तालाबों से अगर अतिरिक्त पानी मिल जाता है तो प्रति हैक्टेयर एक टन से ज्यादा पैदावार बढ़ती है। बाढ़ के पानी को रोकने में भी तालाब बड़े मददगार होते हैं। उनसे कुओं में पानी आ जाता है और ज्यादा बारिश के दिनों में अतिरिक्त पानी की निकासी की भी सुविधा हो जाती है।

3. बेसिन सिंचाई:- सिंचाई की एक विधि जिसके अंतर्गत वर्षा या बाढ़ के समय निम्न भूमि या गतों में जल एकत्रित कर लिया जाता है और उसका उपयोग समीपवर्ती खेतों में फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। इसके द्वारा बाढ़ का जल, विशेषतौर पर बनाये गये छोटे-छोटे बेसिनों में एकत्र कर लिया जाता है। इससे भारी वर्षा से होने वाले मृदा-अपरदन को बचाया जा सकता है।

4. फव्वारा सिंचाई:- फव्वारा द्वारा सिंचाई एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पानी का हवा में छिड़काव किया जाता है और यह पानी भूमि की सतह पर कृत्रिम वर्षा के रूप में गिरता है। कृत्रिम वर्षा चूंकि धीमें-धीमें की जाती है, इसलिए न तो कहीं पर पानी का जमाव होता है और न ही मिट्टी दबती है। इससे जमीन और हवा का सबसे सही अनुपात बना रहता है और बीजों में अंकुर भी जल्दी फूटते हैं। यह एक बहुत ही प्रचलित विधि है फव्वारा सिंचाई की दक्षता लगभग 50-60 प्रतिशत तक होती है।

5. बूँद-बूँद सिंचाई पद्धतियाँ:- बूँद-बूँद सिंचाई प्रणाली सिंचाई की उन्नत विधि है, जिसके अन्तर्गत पाइपों के नेटवर्क (मेन, सबमेन तथा लेटरल) पर लगे उत्सर्जक (एमिटर) के माध्यम से पौधों की जड़ वाले क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। बूँद-बूँद सिंचाई प्रणाली के प्रयोग से लगभग 70-80 प्रतिशत तक जल की बचत, 30-40 प्रतिशत तक उर्वरक की बचत के साथ उपज में 100 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त खरपतवारों में कमी, ऊर्जा की खपत में बचत और उत्पाद की गुणवत्ता में बढ़ोतरी भी होती है।

रबी फसलों के लिए जल संरक्षण :-

इसके लिए गर्मी में गहरी जुताई करनी चाहिए जिससे वर्षा का पानी स्वतः भूमि में समा जाता है एवं पानी के भूमि में शोषित होने पर लम्बी अवधि तक नमी बनी रहती है। जहाँ खरीफ में पड़त छोड़ने का विचार हो वहाँ रबी की फसल की कटाई के पश्चात ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर नमी संरक्षण हेतु 2-3 जुताई करें व अन्तिम जुताई के उपरान्त पाटा लगाएँ। वर्षा ऋतु के अन्त में पड़त खेतों को खरपतवार रहित रखना चाहिए तथा खेत पर हल्की जुताई कर देनी चाहिए जिससे आने वाले रबी की फसल के लिए मृदा में पर्याप्त नमी का संरक्षण किया जा सकें। साथ ही प्रत्येक 3 वर्ष में 10 टन प्रति हैक्टर अच्छी सड़ी गोबर

की खाद देवें, जिससे नमी संरक्षण में सहायता के अतिरिक्त मृदा की उर्वरा शक्ति में भी वृद्धि होती है।

खरीफ फसलों के लिए जल संरक्षण :-

भूमि की सतह पर पानी रोकने के लिए खेत को समतल करके मेड़बन्दी करें। भूमि को इस तरह से तैयार रखें कि ज्यादा से ज्यादा जल भूमि में अवशोषित हो जाये तथा फसलों के काम आएँ। वर्षा प्रारम्भ होने से 15-20 दिन पहले प्रत्येक तीसरे वर्ष अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद डालनी चाहिए। वर्षा ऋतु में अतिरिक्त जल को खेत में ही कुण्ड (तालाब) बनाकर भी एकत्रित किया जा सकता है। इस तरह एकत्रित किया गया जल यदि वर्षा के बीच लम्बा अन्तराल हो जाए तो सिंचाई के काम में लाया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल का सदुपयोग करने के लिए वर्षा ऋतु से पहले खेत को बुवाई के लिए तैयार रखा जाना चाहिए। जिससे पहली वर्षा पर्याप्त मात्रा में होते ही बिना समय गवाए तुरन्त बिजाई की जा सके। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करने से खेतों में जल संग्रहण की क्षमता बढ़ जाती है।

अभ्यास प्रश्न

(अ) वस्तुनिष्ठ प्रश्न

- बूँद-बूँद सिंचाई पद्धति से जल बचत होती है।
 (अ) 60-65 प्रतिशत (ब) 70-80 प्रतिशत
 (स) 50-60 प्रतिशत (द) 40-50 प्रतिशत
- फसलों में गोबर की खाद डाली जाती है।
 (अ) फसल बोने के बाद (ब) फसल बोने के 15-20 दिन पूर्व
 (स) फसल बोते समय (द) फसल बोने के 5-7 दिन बाद
- मनरेगा योजना किस वर्ष लागू हुई थी?
 (अ) 2008 (ब) 2009
 (स) 2010 (द) 2011
- मनरेगा योजना किस मंत्रालय के अधीन है ?
 (अ) ग्रामीण विकास (ब) कृषि
 (स) जल संसाधन (द) श्रम
- फव्वारा सिंचाई पद्धति की दक्षता प्रतिशत है
 (अ) 30-40 (ब) 40-50
 (स) 70-80 (द) 50-60

(ब) अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

- जल संरक्षण कानून कहाँ पर लागू होता है ?
- प्रति व्यक्ति जल की आवश्यकता कितनी होती है ?
- वर्ष 2013 के आँकड़ों के अनुसार राज्य में कुल कितने ब्लॉक हैं ?
- वर्ष 2013 के आँकड़ों के अनुसार राज्य के कितने ब्लॉक सुरक्षित हैं ?
- 'चार जल संकल्पना' किसने प्रतिपादित की थीं ?

(स) लघूत्तरात्मक प्रश्न

- वर्षा जल संरक्षण क्या है ?

2. चार जल संकल्पना कौन-कौन सी हैं ?
3. वर्षा जल संरक्षण ढाँचों का रखरखाव कैसे करोगे ?
4. रबी फसलों के लिए जल संरक्षण कैसे करोगे ?
5. खरीफ फसलों के लिए जल संरक्षण कैसे करोगे ?

(द) निबंधात्मक प्रश्न

1. मनरेगा योजना क्या है और यह वर्षा जल संरक्षण में कैसे उपयोगी सिद्ध होगी ?
2. जलागम क्षेत्र विकास को कैसे क्रियान्वित करोगे ?
3. प्राकृतिक जल संसाधन प्रबंधन से लोक निर्माण कैसे होते हैं ?
4. वर्षा जल संरक्षण से क्या तात्पर्य है ? वर्षा जल संरक्षण की आवश्यकता एवं इसकी विधियों के संबंध में विस्तार से वर्णन करे।
5. विद्यार्थियों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं के द्वारा हो रहे जल संरक्षण कार्यों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करना।

उत्तरमाला— 1. (ब) 2. (ब) 3. (ब) 4. (अ) 5. (द)

भामाशाह योजना



भामाशाह का योगदान और महाराणा का विजय अभियान

दानवीर भामाशाह का परिचय—

दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ अंचल में एक वैश्य कुल में हुआ। उनका जीवनकाल 52 वर्ष का रहा। धन अर्पित करने वाले किसी भी दानदाता को दानवीर भामाशाह कहकर उनका स्मरण वंदन किया जाता है। राजस्थान के इतिहास में भामाशाह के अमर होने के सम्मान में निम्न पक्तियाँ कही गई हैं—

वह धन्य देश की माटी है, जिसमें भामा सा लाल पला।
उस दानवीर की यश गाथा को, मेट सका क्या काल भला।



राजस्थान के उदयपुर में राजाओं की समाधि के मध्य भामाशाह की समाधि बनी है। भामाशाह अपनी दानवीरता के कारण राजस्थान के इतिहास में अमर हो गए हैं। भामाशाह के सहयोग ने ही महाराणा प्रताप को जहाँ संघर्ष को दिशा दी, वहीं मेवाड़ को भी आत्मसम्मान दिया। इनका निष्ठापूर्ण सहयोग महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मातृ भूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप की जब सैन्य शक्ति, जमा पूँजी आदि समाप्त हो गयी थी और वे जंगलों में भटक रहे थे तब उस घोर संकट के समय में मेवाड़ के आत्मसम्मान को बनाये रखने के लिए और अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिए

भामाशाह ने अपनी सम्पूर्ण धन सम्पदा महाराणा प्रताप को दान कर दी थी। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इतना धन दान किया था जिससे 25,000 सैनिकों का बारह वर्षों तक निर्वाह हो सकता था। प्राप्त सहयोग से महाराणा में नया उत्साह उत्पन्न हुआ और उन्होंने पुनः सैनिक शक्ति संगठित कर मुगल शासकों को पराजित कर फिर से मेवाड़ राज्य प्राप्त किया।

भामाशाह ने मेवाड़ की अस्मिता की रक्षा के लिए दिल्ली गद्दी के प्रलोभन को भी ठुकरा दिया था। आत्म सम्मान और त्याग की यही भावना भामाशाह को स्वदेश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाले देश भक्त के रूप में सर्वोच्च स्थान पर स्थापित कर देती है। जैन महाविभूति भामाशाह के सम्मान में 31 दिसम्बर 2000 को तीन रुपये का डाक टिकट केन्द्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। लोक हित और आत्म सम्मान के लिए अपना सर्वस्व दान कर देने वाली उदारता के गौरव पुरुष की इस प्रेरणा को चिरस्थायी रखने के लिए राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने उनकी स्मृति में दानशीलता, सौहाद्र और अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में भामाशाह सम्मान स्थापित किया है।

भामाशाह योजना की पृष्ठ भूमि एवं परिचय—

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2008 में महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए भामाशाह के नाम पर भामाशाह योजना प्रारम्भ की थी। राज्य में वर्ष 2008-09 में गरीब, लघु एवं सीमान्त किसान परिवारों के वित्तीय सशक्तिकरण एवं नारी समृद्धि योजना के लाभों के सीधे हस्तान्तरण के लिये भामाशाह योजना शुरू की गई थी। इस योजनान्तर्गत राज्य के 53 लाख परिवारों को चिन्हित किया जाकर उनका नामांकन किया गया, 29.07 लाख परिवारों के बैंक खाते खोले गये एवं 10.76 लाख खातों में 161.49 करोड़ रुपये की राशि सितम्बर 2008 तक हस्तान्तरित भी की गई। योजना में लाभों का वितरण स्मार्ट कार्ड आधारित एवं बायोमैट्रिक सत्यापन द्वारा किया जाना था। परन्तु वर्ष 2009 से आगे इस योजना की क्रियान्विति की नहीं गई।

आवश्यक सुधारों के साथ विस्तृत रूप में इस योजना को देश के 68 वें स्वतंत्रता दिवस पर मेवाड़ की पवित्र धरा से पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लिया ताकि आजादी की वर्षगांठ के इस दिन 15 अगस्त 2014 को महिला स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाता रहे। मेवाड़ (उदयपुर) से यह योजना इसीलिए प्रारम्भ की गयी क्योंकि यहाँ पन्नाधाय, हाड़ी रानी और रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं ने नारी जाति का मस्तक गर्व से ऊँचा किया है।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था कल्याणकारी अवधारणा पर आधारित है। देश में सभी राज्यों की भौगोलिक, प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सभी वर्गों के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य समानता के साथ विकास है। भामाशाह योजना पारदर्शी, स्पष्ट, सीमित तथा न्यूनतम खर्च एवं न्यूनतम कार्यवाही पर आधारित योजना है। देश में प्रथम बार परिवार में महिला को मुखिया के रूप में चयन किया गया है तथा महिला मुखिया को आर्थिक रूप से सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु सरकार द्वारा देय सहायता/लाभ उसके बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार शून्य बकाया राशि (Zero Balance) पर खाता खोला जाएगा। यदि परिवार में महिला मुखिया 21 वर्ष से कम आयु की हो तो, जब तक महिला सदस्य 21 वर्ष की नहीं हो जाती है, तभी तक पुरुष सदस्य परिवार का मुखिया रहेगा।



राज्य सरकार द्वारा भामाशाह योजना के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। आज भी भारत में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। न केवल अशिक्षित बल्कि शिक्षित महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। जबकि प्राचीन भारत में स्त्री एवं पुरुषों को बराबरी का हक था। स्त्री/पुरुष (दोनों के) आपसी सूझबूझ एवं निर्णय के आधार पर परिवार चलता था। बालक एवं बालिका दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। स्त्री एवं पुरुष दोनों का बराबर सम्मान था सीताराम, राधेश्याम इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। पर्दा प्रथा मुगलकाल की देन है तथा इसके बाद ही महिलाओं की दशा अशिक्षा एवं गरीबी के कारण पिछड़ती गयी। कालांतर में समाज पुरुष प्रधान समाज के रूप में उभरा तथा महिलाओं को सामाजिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। आजादी के 69 वर्ष बाद भी महिलाओं की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि महिला, जो परिवार की धुरी है, उनकी स्थिति में सुधार किया जाए तथा महिलाओं को सामाजिक एवं वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाए।

इसके अलावा देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी स्वीकारा था कि सरकार द्वारा जनता पर किया गए खर्च, एक रुपये में से मात्र 15 पैसे आम जनता तक पहुँचता है शेष राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अतः राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में भामाशाह योजना प्रारम्भ की तथा 15 अगस्त 2014 को इस योजना को पुनः विस्तृत रूप में लागू किया गया है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं का लाभ/सहायता सुगमता एवं शीघ्रता से उपलब्ध कराने हेतु परिवार की महिला प्रमुख के बचत बैंक खाते में राशि का हस्तान्तरण का निर्णय किया है।

महिलाएँ परिवार की धुरी हैं वे परिवार के हित को ध्यान में रखकर प्राप्त राशि का उचित उपयोग कर सकती हैं। बेहतर समाज के निर्माण हेतु नारी को सशक्त और आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। नारी का सशक्तिकरण समाज का सशक्तिकरण है। इसके तहत सभी सरकारी योजना और नगद और गैर नगद लाभों के सीधे एवं पारदर्शी रूप से वितरण करना इस योजना का लक्ष्य है। इस योजना में पारदर्शिता से राशि का वितरण किया जाता है अतः इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा सरकार द्वारा देय लाभ/सहायता राशि का सही उपयोग किया जा सकेगा।

भामाशाह योजना के उद्देश्यः—

■ वित्तीय समावेश (Financial Inclusion) अर्थात् यह सुनिश्चित करना कि प्रदेश के सभी

परिवारों के नाम बैंक में खाता हो।

■ उक्त बैंक खाता महिला मुखिया के नाम से हो तथा महिला मुखिया ही यह तय करें कि परिवार के लिये खर्च किस मद पर कितना एवं किस प्रकार करना है।

■ सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही इन बैंक खातों में जमा कराया जाए तथा लाभार्थी को सीधा एवं शीघ्र लाभ मिलें।

■ इस हेतु निर्णय लिया गया की राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रॉनिक ढांचे का विस्तार एवं सुदृढीकरण किया जायेगा तथा इस कार्यक्रम की सफलता हेतु त्रुटिरहित समंको (Error Free Data Base) की आवश्यकता है।

■ इस योजना के माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न सेवाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को कोर बैंकिंग सुविधायुक्त किसी भी बैंक में आधार पहचान पत्र की संख्या से जुड़ा खाता खोलना आवश्यक होगा। पारिवारिक लाभ को आवश्यक रूप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में ही हस्तान्तरित किया जायेगा।

■ विभिन्न राजकीय योजनाओं का देयलाभ/सहायता सुगमता एवं शीघ्रता से पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराने हेतु महिला मुखिया के नाम बैंक खाते में राशि का हस्तान्तरण किया जायेगा।

■ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान, नरेगा श्रमिकों, इन्दिरा आवास के लाभार्थियों तथा ग्रामीण विकास की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के भामाशाह कार्ड बनवाना।

■ लाभार्थियों के भामाशाह कार्ड प्रत्येक माह की 20 तारीख तक तैयार करना, उनका मिलान एवं सत्यापन करना तथा भामाशाह कार्ड के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करना।

■ भामाशाह नामांकन प्रक्रिया में परिवार के सभी आयु वर्ग के समस्त सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। यह परिवार आधारित नामांकन है। भामाशाह कार्ड, नागरिकता कार्ड (सीटिजनशीप कार्ड) नहीं है। भामाशाह कार्ड बनाते समय आवेदक की पहचान एवं पुष्टि निम्न दस्तावेज से करते हैं:-

1. राशनकार्ड
2. मतदाता कार्ड
3. नरेगा जॉब कार्ड,
4. पेनकार्ड
5. आधार कार्ड
6. पासपोर्ट
7. पानी/बिजली/टेलिफोन बिल/डाईविंग लाईसेंस/फोटो युक्त बैंक की पास बुक

भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड में अंतर-

क्र.सं.	भामाशाह कार्ड	आधार कार्ड
1.	कार्ड लाभार्थी को सीधे लाभ पहुंचाने के साथ-साथ उसकी पहचान, लाभ हस्तान्तरण, लाभ वितरण एवं अधिकारिता को शामिल करता है।	व्यक्ति को यह केवल विशिष्ट पहचान देता है।
2.	वित्तीय समावेश के लिए बैंक खाते से व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जोड़ता है।	ऐसी कोई सुविधा नहीं देता है।


3. महिला सशक्तिकरण के लिए परिवार की महिला मुखिया के नाम बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।	ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है।
4. ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर सेवा उपलब्ध है।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

योजना के लाभार्थी:-

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत देय लाभ/सहायता राज्य के सभी परिवारों एवं परिवार के समस्त सदस्यों को सुगमता एवं शीघ्रता से पारदर्शिता के साथ लाभ देय होता है।

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान, नरेगा श्रमिकों को तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से देय लाभ/सहायता लाभार्थी को परोक्षरूप से देय होते हैं।

भामाशाह योजना के लाभार्थी



भामाशाह योजना तथा बैंक की भूमिका –

भामाशाह नामांकन हेतु बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है। चूंकि यह योजना सरकार द्वारा देय लाभ/सहायता परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में राशि के सीधे हस्तान्तरण की योजना है। अतः निम्न आवश्यक दस्तावेज :-

1. आवेदन प्रपत्र
2. लाभार्थी की दो फोटो,
3. आधार कार्ड की प्रति
4. राशन कार्ड की प्रति
5. मतदाता पहचान पत्र
6. बी0पी0एल0 कार्ड

7. नरेगा जॉब कार्ड
8. पेन कार्ड
9. पासपोर्ट उपरोक्त क्र.सं.—3 से 9 में से कोई एक मूल दस्तावेज पेश करना होगा

यह बैंक खाता सामान्य बचत में भी काम में लिया जा सकता है। भामाशाह नामांकन हेतु आधार नामांकन होना आवश्यक है तथा भामाशाह नामांकन हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार शून्य बकाया राशि (Zero Balance) पर बैंक खाता खोला जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याण की विभिन्न योजनाओं में नगद / गैर नगद लाभ प्राप्त करने हेतु अव्यस्क द्वारा भी खाता किसी वयस्क के साथ खाता खोला जा सकता है, यदि किसी के पास बैंक खाता है तो उसे नया खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं है।

भामाशाह योजना के लाभ :-

1. बिना किसी विलम्ब के शीघ्र भुगतान – योजना के अन्तर्गत मिलने वाले सभी नगद और गैर-नगद लाभ बिना किसी विलम्ब और परेशानी के पूर्ण पारदर्शिता के साथ मिलते हैं। भामाशाह योजना के अन्तर्गत ये सभी लाभ हस्तांतरण इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होते हैं। जिसे लाभार्थी द्वारा घर के नजदीकी बैंक, बैंकिंग संवादकर्ता अथवा माइक्रो एटीएम मशीनधारक ई-मित्र से आहरित किया जा सकता है।

इसे दो उदाहरणों से समझा जा सकता है जैसे पेंशन पोस्टमैन के माध्यम से 2-3 माह तक विलम्ब से प्राप्त होती थी, जोकि अब माह के प्रथम सप्ताह में बैंक खाते में जमा हो जाती है। इसी प्रकार जननी सुरक्षा योजना का पैसा महिला के स्वस्थ होने पर बैंक खाता खुलवाने पर 1-2 माह तक विलम्ब से प्राप्त होता था जबकि नामांकित परिवार की महिला को डिलीवरी से 1-2 दिवस में ही राशि प्राप्त हो जाती है।

2. सभी लाभ घर के पास उपलब्ध – भामाशाह योजना का लाभ आम-जन तक पहुंचाने के लिए राज्य में संचालित 35 हजार से अधिक ई-मित्र केन्द्रों को स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित कर, इन केन्द्रों पर अनेक सुविधाएं यथा – भामाशाह नामांकन, अद्यतन, कार्ड वितरण, बैंकिंग सुविधा इत्यादि प्रदान की जा रही है। वे केन्द्र आम नागरिक को प्रत्येक जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत में घर के नजदीक सेवा उपलब्ध कराते हैं। नरेगा भुगतान से लेकर पेंशन, छात्रवृत्ति व अन्य लोक-कल्याणकारी योजनाओं की राशि भी इन सभी केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार प्राप्त की जा सकती है।

3. मोबाईल पर पूरी जानकारी – भामाशाह योजना के नामांकन के दौरान लाभार्थी द्वारा मोबाईल नम्बर भी उपलब्ध करवाया जाता है। लाभार्थी के हर वित्तीय लेन-देन की सूचना इस मोबाईल पर उपलब्ध होती है। जब भी किसी प्रकार की लाभ राशि लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित होगी या लाभार्थी द्वारा निकाली जायेगी तो इसकी सूचना उसके मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से तुरन्त प्राप्त होती है।

4. पूरी तरह सुरक्षित – भामाशाह कार्ड बायो-मैट्रिक पहचान सहित कोर बैंकिंग को सुनिश्चित करता है अतः यह पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक खाते से राशि लाभार्थी के अलावा

किसी अन्य द्वारा निकाला जाना संभव नहीं है।

5. घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा — ऐसे क्षेत्र जहां बैंकिंग सुविधा नहीं है, वहां विभिन्न बैंकों के बैंकिंग संवादकर्ता कार्यरत हैं, लेकिन सरकार द्वारा आम नागरिकों को घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र पर कार्यरत ई-मित्र संचालक को बैंकिंग संवादकर्ता नियुक्त किया गया है। जो कि बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाता है।

इन बैंकिंग संवादकर्ताओं तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई-मित्र केन्द्रों को माइक्रो एटीएम मशीन उपलब्ध करवायी गयी है, जिससे कोई भी व्यक्ति राशि आहरित कर सकता है। अब तक 20 हजार से अधिक ई-मित्र केन्द्रों को माइक्रो एटीएम मशीनें उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

भामाशाह कार्ड

1. प्रत्येक परिवार के 7 अक्षरों की यूनिक आई.डी. सहित भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है।
2. राज्य सरकार द्वारा भामाशाह कार्ड को परिवार/सदस्य की पहचान व पते का कार्ड घोषित किया जा चुका है।
3. भामाशाह कार्ड परिवार को निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नामांकित परिवार का कोई सदस्य व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड चाहता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर व्यक्तिगत कार्ड भी जारी किया जाता है।
4. प्रारम्भ में प्रत्येक नामांकित परिवार को निःशुल्क भामाशाह परिवार कार्ड संबंधित ग्राम पंचायत/शहरी निकाय के माध्यम से वितरित किये जा रहे थे, नागरिकों को स्थायी वितरण केन्द्र घोषित किया गया है। नागरिक अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर अपना भामाशाह कार्ड प्राप्त कर सकता है।
5. नामांकित परिवार भामाशाह पोर्टल से भामाशाह कार्ड जारी होने की स्थिति ज्ञात कर सकता है तथा ई-भामाशाह परिवार/व्यक्तिगत कार्ड का प्रिन्ट भी ले सकता है।

जिला स्तर पर योजना क्रियान्वयन अधिकारी

“ जिला भामाशाह योजना प्रबंधक	:	जिला कलक्टर
“ जिला भामाशाह योजना अधिकारी	:	उप-निदेशक/ सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी
“ ब्लॉक भामाशाह योजना प्रबंधक	:	उपखण्ड अधिकारी
“ ब्लॉक भामाशाह योजना अधिकारी	:	ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी

समस्या निवारण

अधिक जानकारी वेबसाइट bhamashah.rajasthan.gov.in अथवा Toll free Telephone No. 1800-180-6127 से प्राप्त की जा सकती है।

भामाशाह योजना के लिए नामांकन-प्रपत्र का प्रारूप

भामाशाह नामांकन प्रपत्र

परिहार के मुखियाओं के नाम.....(पत्नी).....(पति) परिहार की श्रेणी : एससी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/सान्मान्य
 श्रेणिक श्रेणी: तपु किसान/सीमान्त किसान/अन्य किसान/श्रमहीन श्रमि का प्रकार : सिंचित/असिंचित/दोनों
 (सं/ला).....
 आवस्रीय पता : मकान सं..... अपार्टमेंट..... तल्लत..... गली..... बार्ड सं.....
 ग्राम पंचायत/शहर..... तल्लत..... नोबार्डल नं..... जिला..... पिन कोड.....
 दूरभाष सं. (लिण्ड लाईन).....
 पारिवारिक बैंक का नाम..... पारिवारिक बैंक शाखा का नाम.....
 मकान श्रेणी : स्वतंत्र मकान/ढावाला/अपार्टमेंट/मकान रहित मकान की स्थिति : पक्का/अर्द्ध पक्का/कच्चा/झोपड़ी.....
 पारिवारिक बैंक का खाता संख्या..... वर्तमान परे पर विवास की अवधि.....
 वर्ष

क्र. सं.	आधार संख्या	परिहार के मुखिया सं संभव	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	शिक्षा स्तर	उच्च शिक्षा (dd/mm/yy)	वैवाहिक स्थिति का नाम	शिक्षा का स्तर	व्यवसाय	विशेष योगदान	वार्षिक आय (रु)	शिक्षा श्रेणी	बैंक मध्य शाखा का नाम	बैंक खाता संख्या	विशेष विवरण	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		स्वयं															

- कॉलम सं. 3 - मुखिया से संबंध : 1-स्वयं 2-पत्नी/पति 3-पुत्र/पुत्री 4-बन्धन/पुत्रवधु 5-पौत्र/पौत्री 6-पिता/माता 7-ससुरा/सास 8-पड़पौत्र/पौत्री 9-अन्य
- कॉलम सं. 7 - शिक्षा : 1-पुरुष 2-स्त्री 3-निपटित शिक्षा(दूरसंचालन)
- कॉलम सं. 9 - वैवाहिक स्थिति : 1-अविवाहित 2-विवाहित 3-विधवा/विधुर 4-तलाकखुद 5-परित्याग 6-अन्य
- कॉलम सं. 11 - शिक्षा का स्तर : 1-बिस्तर 2-साक्षर 3-प्राथमिक 4-उच्च प्राथमिक 5-माध्यमिक 6-उच्च माध्यमिक 7-स्नातक 8-स्नातकोत्तर 9-अन्य
- कॉलम सं. 12 - व्यवसाय : 1-राज्य कर्मी 2-केंद्रीय कर्मी 3-सावजनिक क्षेत्र/बैंक कर्मी 4-निजी क्षेत्र कर्मी 5-स्वतंत्र/निजित 6-व्यवसायी 7-श्रमिक 8-सुरक्षक 9-शेराजगार 10-अन्य
- कॉलम सं. 13 - विशेष योगदान : 1-अन्नदाता 2-बहिर 3-अन्नदाता 4-सावजनिक 5-अन्य
- कॉलम सं. 14 - वार्षिक आय (रु) : 1-5000 से कम 2- 5000 से 20000 3- 20000 से 50000 4- 50000 से 01 लाख 5- 01लाख से 02 लाख 6- 02 लाख से 4.5 लाख 7- 4.5 लाख से 10 लाख 8- 10 लाख से अधिक
- कॉलम सं. 17 - शिक्षा श्रेणी : 1-निवासी 2-अपवासी 3-अपवासी भारतीय (एनआरआई)
- नोट- पत्नी व पति दोनों संयुक्त रूप से परिहार के मुखिया होने तथा परिहार का बैंक खाता संख्या परिहार की महिला मुखिया का व्यक्तिगत खाता होना।

N

आवेदक के हस्ताक्षर/
 कार्य समय की अनुज्ञ विधानी
 नाम.....

पहचान सत्यापन दस्तावेज

परिवार पहचान दस्तावेज-

रक्षणकार्ड का प्रकार : बीपीएल/स्टेट बीपीएल/एपीएल/अलोदय/कार्ड नहीं

विद्युत खातासंख्या :

गैस कनेक्शन संख्या :

बीपीएल/स्टेट बीपीएल संख्या :

रक्षण कार्ड संख्या.....

जल आपूर्ति खाता संख्या.....

गैस एचबीसी का नाम : इण्डेन/एचपी/भारत गैस/अन्य

महात्मा गांधी नरेगा कार्ड संख्या.....

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नामांकन की URN संख्या(17 अंकीय).....

व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज-

क्र. सं.	नाम	मातृनामा पहचान पत्र संख्या	पैन कार्ड संख्या	इकीटिन लाईवेंस संख्या	पासपोर्ट संख्या	एनपीआर स्थीत संख्या	रोजगार पंजीयन क्रमांक	सरकारी कर्मचारियों की आईडी संख्या	सामाजिक सुरक्षा पेंशन पी.पी.ओ. नम्बर	मोबाईल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
4.										
5.										
6.										

सत्यापन का प्रकार : 1-दस्तावेज आधारित सत्यापन, 2- सत्यापक द्वारा क्षेत्र में उपरोक्त उल्लेखित समस्त सूचनाएँ मेरी जानकारी अनुसार सही हैं, मेरे जानकारी कर सत्यापन किया गया (रूपया सही का विशाल लगाएँ)

दिनांक:.....

प्रथम सत्यापन कर्ता के
हस्ताक्षर
(नाम, पद एवं मोहर)

आवेदक के हस्ताक्षर/
बायें हाथ की अंगुलू निशानी
नाम:.....

योजना के लाभ का माध्यमः—

राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ समस्त प्रदेशवासियों को सुगमता एवं शीघ्रता के साथ मिले अतः परिवार की महिला मुखिया का पंजीयन किया जायेगा तथा उनका बैंक खाता खोला जायेगा। महिलाओं के बैंक खाता खोलने के लिए भामाशाह कार्ड का पंजीयन होना आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा देय लाभ/सहायता सीधे इनके बैंक खाते में हस्तान्तरित की जायेगी।

मविष्य में समाज की स्थिति पर प्रभावः—

एक बेहतर समाज निर्माण के लिये नारी का सशक्त एवं आत्मनिर्भर होना आवश्यक है क्योंकि नारी का सशक्तिकरण ही समाज का सशक्तिकरण है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा देय सहायता/लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक के खाते में जमा होगी अर्थात् राज्य सरकार द्वारा दिया गया शत प्रतिशत लाभ/सहायता पारदर्शिता के साथ लाभार्थी तक पहुँच रहा है। इससे लोककल्याणकारी कार्य सुगम एवं शीघ्र सम्पन्न होंगे तथा राज्य और देश तेजी से प्रगति के पथ पर गति करेगा तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। इससे समाज का समानता के साथ न्यायसंगत विकास होगा। सभी को सभी सुविधाएँ मिलेगी और शोषणमुक्त समाज का विकास होगा।

अभ्यास कार्य

- ◆ विद्यालय द्वारा प्रार्थना स्थल पर भामाशाह योजना पर चर्चा करना। भामाशाह योजना के शिविरों में छात्रों द्वारा अवलोकन एवं कार्य प्रणाली पर चर्चा करना। छात्र घर एवं विद्यालय में भामाशाह योजना के बारे में जानकारी एकत्र कर प्रोजेक्ट बनाए।
- ◆ ई-मित्र, भारत निर्माण सेवा केन्द्र, अटल सेवा केन्द्र, बैंक का अवलोकन करे तथा उनकी कार्यप्रणाली का लेखा-जोखा रखे।
- ◆ निकटतम बैंक शाखा जाकर भामाशाह योजना की जानकारी प्राप्त करें।
- ◆ निकटतम बैंक/पोस्ट ऑफिस में स्वयं का/अपने परिवार का खाता खुलवाना
- ◆ घर के मुखिया का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मनरेगा कार्ड, मतदाता कार्ड का अवलोकन करें तथा जानकारी एकत्र करें।
- ◆ भामाशाह योजना पर एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार करें।

अध्यापक हेतु निर्देशः—

- ◆ प्रार्थना स्थल पर इस योजना की चर्चा करे।
- ◆ भामाशाह योजना के शिविर का छात्रों को अवलोकन कराये।
- ◆ निबन्ध प्रतियोगिता, आशुभाषण, प्रोजेक्ट आदि।
- ◆ विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित कर छात्रों को प्रोत्साहित करें।
- ◆ इस योजना से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को शाला में बुलाकर छात्रों को जानकारी प्रदान करावे।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया होगा —
(अ) पिता (ब) पुत्र

- (स) महिला (द) कोई भी
2. भामाशाह योजना 2014 की घोषणा राजस्थान के किस शहर में की गई थी –
(अ) उदयपुर (ब) अजमेर
(स) जोधपुर (द) भरतपुर
3. व्यक्ति की पहचान प्रमाणित करने में आवश्यक दस्तावेज कौन सा है –
(अ) पेन कार्ड (ब) आधार कार्ड
(स) मनरेगा कार्ड (द) उपरोक्त सभी
4. भामाशाह कौन थे –
(अ) महाराणा मेवाड़ (ब) संत
(स) महाराणा प्रताप के सहयोगी (द) सैनिक

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. क्या भामाशाह नामांकन के लिये आधार नामांकन का होना आवश्यक है?
2. भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया किसे घोषित किया गया?
3. क्या भामाशाह योजना के तहत सरकार द्वारा देय लाभ/सहायता आसानी से सभी व्यक्तियों तक पहुंचेगी?
4. क्या शिविर में खोला गया बैंक खाता का प्रयोग सामान्य बचत के लिये भी किया जा सकता है?
5. भामाशाह कार्ड से सम्बन्धित जानकारी के सत्यापन की जिम्मेदारी किस पर है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. भामाशाह योजना में बैंक खाता खोलने हेतु कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं? सूची बनाइए।
2. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Tax) से क्या अभिप्राय है? समझाइए।
3. भामाशाह योजना के तहत लाभार्थियों के नाम बताइये।
4. महिला सशक्तिकरण के अवधारणा तथा आवश्यकता बताइये।
5. भामाशाह योजना से महिलाओं को क्या लाभ है?

निबन्धात्मक प्रश्न

1. दानवीर भामाशाह के मेवाड़ राज्य की रक्षा में योगदान को बताइए तथा राजस्थान सरकार ने मेवाड़ की धरा से ही भामाशाह योजना की घोषणा क्यों और कब की?
2. भामाशाह कार्ड की क्या उपयोगिता है तथा भामाशाह कार्ड बनवाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही आवश्यक है?

उत्तर :- 1. (स) , 2. (अ) 3. (द) 4. (स)